(नियुक्ति देने के पूर्व मृतक आश्रित से लिये जाने वाले शपथ-पत्र)

शपथ-पत्र का प्रारूप-2

शपथी का फोटोग्राफ नोटरी द्वारा प्रमाणित

नाम-----------------उम्र-----वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0 ------------------
निवासी ग्राम ---------- पोस्ट ------------- थाना -------- जनपद--------
का शपथ-पत्र

मैं --------------------उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित अभिकथन
करता है:-

(1) यह कि शपथी द्वारा अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में जो सूचना/शैक्षिक प्रमाण-पत्र तथा प्रपत्र इत्यादि दिया गया है वह सही है।

(2) यह कि शपथी द्वारा सेवायोजन के सम्बन्ध में दिये गये मृतक कर्मी के सम्बन्ध मे नाम/पद/नियुक्ति का विवरण आदि सही है एवं वह मृतक का वास्तविक वारिस है।

(3) यह कि शपथी के परिवार में स्व0 कर्मी की मृत्यु के बाद किसी भी अन्य सदस्य द्वारा कभी भी मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ नहीं लिया गया है

(4) यह कि शपथ-पत्र के प्रस्तर- 1 से 3 तक में अंकित कथन सत्य है तथा शपथी द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

आवश्यक / अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्या:अठारह / ए–1(124)2008, दिनांक : फरवरी 13 ,2009

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग,उत्तर प्रदेश।

विषयः– सरकारी कर्तव्य पालन के दौरान मृत पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के आश्रितों को मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली–1974 के अन्तर्गत उप निरीक्षक ना0पु0 / प्लाटून कमाण्डर के पद पर सेवायोजन की कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

कृपया रिट याचिका संख्या:4746 / 2008 मुकेश शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.08.2008 के अनुपालन में शासनादेश संख्या:1912 / 6–पु0–10–08–1200(285) / 2006 दिनांक 17.10.2008 के माध्यम से प्राप्त निर्देश के अनुसार मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली 1974 के अन्तर्गत मृतक आश्रितों के पक्ष में उप निरीक्षक ना0पु0 / प्लाटून कमाण्डर के पद पर लम्बित प्रस्तावों में नियमानुसार सेवायोजन की कार्यवाही किया जाना है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार मृतक आश्रितों के उप निरीक्षक ना0पु0 / प्लाटून कमाण्डर के पद विषयक दक्षता का मूल्यांकन यथाशीघ्र कराया जाना है, जिसके लिए पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से तदविषयक विभागीय चयन समिति के गठन का अनुरोध किया गया है।

2. अतः कृपया अनुरोध है कि आपके जनपद / इकाई में मृतक आश्रितों के उप निरीक्षक ना0पु0 / प्लाटून कमाण्डर के पद के जो भी प्रस्ताव लम्बित हों, उनका नियमानुसार भली भांति परीक्षण कर, फुलप्रुफ सिस्टम के अर्न्तगत पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या:18 / ए–1(5)2008 दिनांक 24.02.2008 में निहित प्राविधानों के अनुसार पूर्ण पत्रादि / आख्या सहित प्रस्ताव अपने जनपद / इकाई के पुलिस उपाधीक्षक / क्षेत्राधिकारी कार्यालय के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को प्रत्येक दशा में दिनांक 28.02.2009 तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। कृपया मृतक आश्रित के प्रस्तावों का परीक्षण करते समय यह भी सुनिश्चित कर लें कि आश्रित उप निरीक्षक ना0पु0 / प्लाटून कमाण्डर के पद पर सेवायोजन हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सब प्रकार से अर्ह हो एवं आश्रित स्व0 मृतक पुलिस कर्मी के मृत्यु के पांच वर्ष की समय सीमा के अन्दर न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर चुका हो।

3. कृपया प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

(दीपक कुमार भटट)
अपर पुलिस अधीक्षक,स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक,स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि विशेष सचिव,उत्तर प्रदेश शासन,गृह(पुलिस)अनुभाग–10,लखनऊ को शासन के निर्देश संख्या:1912 / 6–पु0–10–08–1200(285) / 2006 दिनांक 17.10.2008 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक,प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।

संख्या तथा दिनांक वही

6- अपर पुलिस महानिदेशक (पीएसी), पी0ए0सी0 मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

चेक लिस्ट

उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली–1974 सपठित नियमावली–1993,2006 के अधीन सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त परिवार के आश्रितो में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप मे सेवायोजन प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव

1	मृत सरकारी सेवक का नाम
2	मृत सरकारी सेवक का पदनाम
3	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु पूर्व नियुक्ति स्थान/कार्यालय का नाम
4	मृत सरकारी सेवक की जन्मतिथि (सेवाअभिलेख के अनुसार प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति सलग्न की जाय)
5	मृत सरकारी सेवक की भर्ती तिथि
6	मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति का प्रकार(तदर्थ/नियमित/स्थाई/अस्थाई/आकस्मिक)
7	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु तिथि (मृत्यु का प्रमाण-पत्र के अनुसार, कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किया जाय)
8	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण
9	मृत सरकारी सेवक,मृत्यु के समय डियुटी पर था अथवा अवकाश पर
10	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों का नाम आयु(हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार) तथा आय व वैवाहिक स्थिति
11	मृत सरकारी सेवक की एक से अधिक पत्नियाँ हो तो पत्नियों के नाम आयु(हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण–पत्र के अनुसार)
12	मृत सरकारी सेवक के पत्नी के द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है,का विवरण एवं परिवार के समस्त सदस्यों वयस्क/अवयस्क दोनों का विवरण (नाम/आयु/शिक्षा/व्यवसाय) अंकित होगा

	सम्मिलित हो से संबंधित शपथ-पत्र (प्रारूप-क)
13	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यो का वार्षिक आय का विवरण
14	इस आशय का प्रमाण-पत्र की स्थायी अभिलेख एव पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची से सेवायोजन के प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की समीक्षा कर ली गयी कोई अन्तर नही पाया गया है पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की प्रमाणित प्रति(पेंशन प्रपत्र भाग दो संलग्न किया जाय
15	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों का शपथ-पत्र/सहमति जिन्हें सेवायोजन दिलाना चाहते हो, के पक्ष मे(प्रारूप-ख)
16	मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पक्ष मे निर्गत किये गये पी0पी0ओ0/जी0पी0ओ0 की संख्या व दिनाक (प्रमाण हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे)
17	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्यो द्वारा सेवायोजन की माँग की जा रही है तो उनमे से जिस आश्रित को नामित किया जा रहा है उससे नामित किये जाने के कारण सहित विस्तृत विवरण अकित करें
18	मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली-1974 के अर्न्तगत इससे पूर्व कुटुम्ब के किसी आश्रित सदस्य की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई हो तो ऐसी स्थिति मे स्पष्ट किया जाय किस सम्बन्धित को किस पद पर नियुक्ति दी गयी है तथा इस सम्बन्ध मे पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या व दिनाक का उल्लेख करें
19	इस आशय का प्रमाण-पत्र कि मृत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितों की भर्ती नियमावली -1974 सपठित नियमावली-1993, 2006 के अधीन सेवायोजन का लाभ प्रदान नही किया गया है से संबंधित प्रमाण पत्र(प्रारूप-घ)
20	मृत सरकारी सेवक के घर के पते (स्थायी एव अस्थायी)पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से कराई गयी जांच आख्या की मूल प्रति जिसमें मृतक के

	कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को पूर्व में सेवायोजन का लाभ तो प्रदान नही किया गया है तथा अवयस्क/वयस्क सदस्यो की वैवाहिक स्थिति तथा आय का स्रोत और यदि किसी सेवा में है तो उसका विवरण संबंधित प्रमाण पत्र
21	मृतक आश्रित का नाम
22	मृतक आश्रित की जन्मतिथि हाईस्कूल के सनद अथवा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अंको तथा शब्दो में
23	मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता
24	मृत सरकारी सेवक के आश्रित का शपथ पत्र जिन्हें सेवायोजन हेतु नामित किया गया है (प्रारूप–ग)
25	मृतक आश्रित का प्रार्थना–पत्र जिसमें शैक्षिक योग्यता आयु,अपेक्षित पद का उल्लेख तथा जाति विषयक प्रमाण–पत्र(यदि आरक्षित वर्ग से है तो दिनाक सहित)
26	शैक्षिक प्रमाण पत्रों/अंक तालिकाओं का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविधालय से एव हाईस्कूल से कम शिक्षित होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक से सत्यापन कराकर सत्यापन आख्या(कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)
27	मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन स्थाई व अस्थाई पते पर तथा अभिसूचना मुख्यालय द्वारा कराया गया चरित्र सत्यापन आख्या मूलरूप में सलग्न की जायेगी
28	मृतक आश्रित के पक्ष दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा पृदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो छ: से पुराना न हो
29	मृतक आश्रित की वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो जीवित पत्नी का नाम/आयु व शैक्षिक योग्यता
30	मृतक आश्रित से निम्न स्थिति में तत्सम्बन्धी

	विवरण सहित इस आशय घोषणा पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाय 1–यदि वर्तमान समय में मृतक आश्रित कही सेवारत है 2– यदि पूर्व में सेवारत रहा हो 3– यदि सेवा त्यागपत्र दे दिया तो 4– यदि सेवा से पृथक कर दिया गया हो तो
31	यदि मृतक आश्रित आरक्षित वर्ग का है तो जाति प्रमाण–पत्र (जो जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा)
32	मृतक आश्रित का नवीनतम फोटोग्राफ जो छ: से पुराना न हो चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय
33	मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छ: माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण–पत्र) (कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)
34	मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र छ माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण–पत्र) (कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)
35	इस आशय का प्रमाण–पत्र की पुलिस कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये "मृतक आश्रित सेवायोजन रजिस्टर" में अंकित कर दिया गया है से संबंधित प्रमाण पत्र (प्रारूप–च)
36	इस आशय का प्रमाण पत्र की उपरोक्त कम सख्या–1 से लेकर कम संख्या–35 तक अंकित सभी प्रविष्टियां को मेरे द्वारा भली भांति जाच कर लिया गया है जो सूचनाये अंकित है वे सही है एवं आवेदक द्वारा मांगे जा रहे पद पर सेवायोजन की संस्तुति की जाती है ।(अपेक्षित पद नाम का उल्लेख कार्यालयाध्यक्ष द्वारा करते हुए संस्तुति की जायेगी)

उत्तर प्रदेश आरक्षिक (पुलिस) में भर्ती का आकार पत्र

1–पूरा नाम..

2–पिता का नाम..

3–स्थायी पता–
  1–गांव / मुहल्ला..
  2–थाना..

4–आयु एवं जन्म का दिनांक..

5–जाति(केवल परिगणित जातियो के लिये)..

6–विवाहित या अविवाहित..

7–शिक्षा संबंधी योग्यतायें..

8–सैनिक अनुभव, यदि कोई हो और पदवी, जिन पर नियुक्त हो..

9–मैं..इस लेख द्वारा प्रकथन करता हूँ कि ऊपर दिया लेखा व ब्यौरा, जिसे मैने स्वयं दिया है, पढवाकर सुन लिया है, जहाँ तक मै जानता हूँ और जैसा एक विश्वास है, सत्य है।

मेरे सामने हस्ताक्षर हुये और इस लेखे को
साक्षिता स्वीकृत की गयी ।

साक्षित्य अधिकारी के हस्ताक्षर प्रार्थी के हस्ताक्षर

....

(ख) प्रतिसार–निरीक्षक (रिजर्व इन्सपेक्टर) द्वारा भरा जाये।

10– नाप––
  1– ऊँचाई..............................
  2– छाती बिना फुलाये........................फुलाने पर.............................

प्रतिसार निरीक्षक(रिजर्व इन्सपेक्टर)

....

(ग) चिकित्सक अधिकारी द्वारा भरा जाये

11–पहिचान के विशेष चिन्ह..

12–चिकित्सक अधिकारी की आख्या रिपोर्ट..

  (क)–योग्य / अयोग्य

  (ख)उसकी आयु उसी के वक्तव्य के अनुसार .... वर्ष की और

  ऊपर से देखने में........................

ग– चेचक टीका या चेचक के चिन्ह हों या नही।

घ– (आरीक्षक अधीक्षक (कप्तान पुलिस के पूछने पर) उसके बढने या पुष्ट होने की सम्भावना है या नही ।

दिनांक............सन् 19....

भर्ती किये जाने वाले के बांये अगूठे की छाप — चिकित्सक अधिकारी

अनुबन्ध (एग्रीमेन्ट)

से...जो...का पुत्र हूँ और

गांव / मुहल्ला ....थाना ....

जिला..

का निवासी हूँ इस बात को अंगीकार करता हूँ और इस पर अनुबद्ध होता हूँ कि यदि मै उत्तर प्रदेशीय (पुलिस.) बल में ले लिया गया और उसके बाद दो वर्ष के भीतर ही उत्सर्जित (डिसचार्ज), पदच्युत (डिस्मीड) या जनपद – चिकित्सक (सिविलसर्जन) द्वारा अयोग्य घोषित न कर दिया गया तो उक्त दल में भर्ती होने के दिन से दो वर्ष तक उसमे काम करता रहूंगा ।

मै अंगीकार करता हूँ और अनुबद्ध होता हूँ कि यदि मैने दो वर्ष पूरे होने के पहले ही पद त्याग कर दिया तो तब तक जितने माह कि मेरी सेवा हुयी होगी, उतने ही समय दण्ड भरूगा।

यह अनुबन्ध किसी ऐसे अंगीकार– पत्र , अनुबन्ध या बन्ध को , जिसे मै इस अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के बाद लिखे, अतिकांत कर सकूंगा।

इस लेख्य का शुल्क उत्तर प्रदेश गर्वनर महोदय देंगे
साक्षित्व अधिकारी (अटेस्टिंग आफीसर) के
हस्ताक्षर और उनका अभिधान (डेजिग्नेशन)

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी के बायें अंगूठे की छाप

आज्ञा

.................पद पर दिनांक.............................सन्198 ई से................................प्रतिमास
पर भर्ती किया गया।

आरक्षिक अधीक्षक (कप्तान पुलिस)

समादेयक (कमान्डेन्ट)

पी०एस०यू० पी० (प्र०डि०) 012 पुलिस – 13.4.84 पुलिस प्रपत्र सं० 29–58,000।

चेक लिस्ट

उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 सपठित नियमावली–1993,2006 के अधीन सरकारी कर्मचारियो की सेवाकाल मे मृत्यु के उपरान्त परिवार के आश्रितों में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप मे सेवायोजन प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव

1	मृत सरकारी सेवक का नाम	
2	मृत सरकारी सेवक का पदनाम	
3	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु पूर्व नियुक्ति स्थान/कार्यालय का नाम	
4	मृत सरकारी सेवक की जन्मतिथि (सेवाअभिलेख के अनुसार प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)	परिशिष्ट
5	मृत सरकारी सेवक की भर्ती तिथि	
6	मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति का प्रकार(तदर्थ/नियमित/स्थाई/ अस्थाई/आकस्मिक)	
7	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु तिथि (मृत्यु का प्रमाण–पत्र के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किया जाय)	
8	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की परिस्थितियो का संक्षिप्त विवरण	
9	मृत सरकारी सेवक,मृत्यु के समय ड्यूटी पर था अथवा अवकाश पर	
10	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यो का नाम आयु(हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण–पत्र के अनुसार) तथा आय व वैवाहिक स्थिति	नाम आयु नाम आयु नाम आयु नाम आयु
11	मृत सरकारी सेवक की एक से अधिक पत्नियाँ हो तो पत्नियो के नाम आयु(हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण–पत्र के अनुसार)	नाम आयु नाम आयु
12	मृत सरकारी सेवक के पत्नी के द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है,का विवरण एवं परिवार के समस्त सदस्यो वयस्क/अवयस्क दोनो का विवरण (नाम/आयु/शिक्षा/व्यवसाय) अंकित होगा सम्मिलित हो से संबंधित शपथ–पत्र (प्रारूप–क)	परिशिष्ट
13	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यो का वार्षिक आय का विवरण	परिशिष्ट
14	इस आशय का प्रमाण–पत्र की स्थायी अभिलेख एवं पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची से सेवायोजन के प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की समीक्षा कर ली गयी कोई अन्तर नही पाया गया है पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की प्रमाणित प्रति(पेंशन प्रपत्र भाग दो संलग्न किया जाय	सदस्यो के नाम की सूची परिशिष्ट– पेंशन भाग दो की प्रमाणित सूची परिशिष्ट–
15	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के वयस्क सदस्यो का शपथ–पत्र/सहमति जिन्हें सेवायोजन दिलाना चाहते हो, के पक्ष में(प्रारूप–ख)	परिशिष्ट– परिशिष्ट– परिशिष्ट– परिशिष्ट–
16	मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पक्ष में निर्गत किये गये पी0पी0ओ0/जी0पी0ओ0 की संख्या व दिनांक (प्रमाण हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	परिशिष्ट–
17	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्यो द्वारा सेवायोजन की मॉग की जा रही है तो उनमे से जिस आश्रित को नामित किया जा रहा है उससे नामित किये जाने के कारण सहित विस्तृत विवरण अंकित करे	
18	मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली–1974 के अन्तर्गत इससे पूर्व कुटुम्ब के किसी आश्रित सदस्य की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई हो तो ऐसी स्थिति मे स्पष्ट किया जाय किस सम्बन्धित को किस पद पर नियुक्ति दी गयी है तथा इस सम्बन्ध मे पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख करे	
19	इस आशय का प्रमाण–पत्र कि मृत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली–1974 सपठित नियमावली–1993,2006 के अधीन सेवायोजन का लाभ प्रदान नही किया गया है से संबंधित प्रमाण पत्र(प्रारूप–घ)	
20	मृत सरकारी सेवक के घर के पते (स्थायी एवं अस्थायी)पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से कराई गयी जांच आख्या की मूल प्रति जिसमें मृतक के कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को पूर्व मे सेवायोजन का लाभ तो प्रदान नही किया गया है तथा अवयस्क/वयस्क सदस्यो की वैवाहिक स्थिति तथा आय का श्रोत और यदि किसी सेवा मे है तो उसका विवरण संबंधित प्रमाण पत्र	परिशिष्ट अनुलग्नक अनुलग्नक

	मृतक आश्रित का नाम	
	मृतक आश्रित की जन्मतिथि हाईस्कूल के सनद अथवा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अंको तथा शब्दो मे	
23	मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता	
24	मृत सरकारी सेवक के आश्रित का शपथ पत्र जिन्हे सेवायोजन हेतु नामित किया गया है (प्रारूप--ग)	
25	मृतक आश्रित का प्रार्थना--पत्र जिसमे शैक्षिक योग्यता आयु,अपेक्षित पद का उल्लेख तथा जाति विषयक प्रमाण--पत्र(यदि आरक्षित वर्ग से है तो दिनांक सहित)	प्रार्थना पत्र परिशिष्ट
26	शैक्षिक प्रमाण पत्रो/अंक तालिकाओ का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से एवं हाईस्कूल से कम शिक्षित होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक से सत्यापन कराकर सत्यापन आख्या(कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	मा0शि0बोर्ड-- परिशिष्ट विश्वविद्यालय परिशिष्ट जि0वि0नि0 परिशिष्ट
27	मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन स्थाई व अस्थाई पते पर तथा अभिसूचना मुख्यालय द्वारा कराया गया चरित्र सत्यापन आंख्या मूलरूप मे संलग्न की जायेगी	स्थायी पते पर परिशिष्ट अस्थायी पते पर अभिसूचना मुख्यालय परिशिष्ट
28	मृतक आश्रित के पक्ष दो राजपत्रित अधिकारियो द्वारा पृदत्त चरित्र प्रमाण--पत्र जो छः से पुराना न हो	1--राजपत्रित अधिकारी का नाम परिशिष्ट 2--राजपत्रित अधिकारी नाम परिशिष्ट
29	मृतक आश्रित की वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो जीवित पत्नी का नाम/आयु व शैक्षिक योग्यता	नम आयु
30	मृतक आश्रित से निम्न स्थिति मे तत्सम्बन्धी विवरण सहित इस आशय घोषणा पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाय 1-- यदि वर्तमान समय मे मृतक आश्रित कही सेवारत है 2-- यदि पूर्व मे सेवारत रहा हो 3-- यदि सेवा त्यागपत्र दे दिया तो 4-- यदि सेवा से पृथक कर दिया गया हो तो	परिशिष्ट
31	यदि मृतक आश्रित आरक्षित वर्ग का है तो जाति प्रमाण--पत्र (जो जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा)	1-- प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले राजपत्रित अधिकारी का नाम परिशिष्ट
32	मृतक आश्रित का नवीनतम फोटोग्राफ जो छः से पुराना न हो चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय	प्रमाणित फोटोग्राफ
33	मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करे (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण--पत्र) (कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	ऊँचाई | सीना फुलाने पर | सीना बिना फुलाये
34	मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण--पत्र छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करे (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण--पत्र) (कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	ऊँचाई | सीना फुलाने पर | सीना बिना फुलाये
35	इस आशय का प्रमाण--पत्र की पुलिस कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये "मृतक आश्रित सेवायोजन रजिस्टर" मे अंकित कर दिया गया है से संबंधित प्रमाण पत्र (प्रारूप--च)	स्थाई रजिस्टर का पृष्ठ संख्या-- कम संख्या-- प्रमाण पत्र परिशिष्ट
36	इस आशय का प्रमाण पत्र की उपरोक्त कम संख्या--1 से लेकर कम संख्या--35 तक अंकित सभी प्रविष्टियो को मेरे द्वारा भली भांति जांच कर लिया गया है जो सूचनाये अंकित है वे सही है एवं आवेदक द्वारा मांगे जा रहे पद पर सेवायोजन की संस्तुति की जाती है ।(अपेक्षित पद नाम का उल्लेख कार्यालयाध्यक्ष द्वारा करते हुए संस्तुति की जायेगी)	

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Attested

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 833500

समक्ष :- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय

जिला जालौन § स्थान उरई§

मै राघवेन्द्र सिंह निरंजन उम्र 30 वर्ष पुत्र स्व0 श्री कुंज बिहारी निरंजन निवासी ग्राम महोबकण्ठ पोस्ट व थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा का शपथपत्र निम्नलिखितहै :-

मै राघवेन्द्र सिंह निरंजन उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित अभिकथन करता हूँ कि :-

§1§ यह कि शपथी द्वारा अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में जो [illegible] /शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा प्रपत्र इत्यादि दिया गयाहै वह सहीहै ।

§2§ यह कि शपथी के पिता श्री कुंजबिहारी निरंजन की मृत्यु दिनांक:26/09/2007 ई0 को हुईथी शपथी के पिता मृत्यु के समय थाना आटा जनपद जालौन मे नियुक्तथे ।

§3§ यह कि शपथी के परिवार मे शपथी के अतिरिक्त निम्न सदस्यहै जिनमे से किसी को भी सेवा योजन का लाभ नही दिया गया है ।

1- प्रभा निरंजन	विवाहित	आयु 32 वर्ष
2- राघवेन्द्र सिंह निरंजन	विवाहित	आयु 30 वर्ष
3- [illegible] कुमार निरंजन	विवाहित	आयु 25 वर्ष
4- प्रीति निरंजन	अविवाहित	आयु 16 वर्ष

शेष 2 पर....

राघवेन्द्र सिंह निरंजन

(4) यह कि शपथी द्वारा सेवायोजन के सम्बन्ध मे दिये गये मृतक कर्मी के सम्बन्ध मे नाम /पद/नियुक्ति का विवरण आदि सही है एवं वह मृतक का वास्तविक वारिस है।

(5) यह कि शपथी के परिवार मे स्व0 कर्मी की मृत्यु के बाद किसी भी अन्य सदस्य द्वारा कभी भी मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ नही लिया गया है।

(6) यह कि शपथपत्र के प्रस्तर 1 से 5 तक मे अंकित कथन सत्य है तथा शपथी द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है।

राघवेन्द्र सिंह निरंजन
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

NOTARY

Serial No. 5763
Certified that the forgoing Statement
12.2.09
before me
Raghvendra Singh Niranjan
... have
... Who is
...
Re...

...WAT
18-10
NOTARY JHANSI DISTRICT

अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-1
संख्या:18/ए-1(5-ए)2008, दिनांक:फरवरी 25,2008

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग,उत्तर प्रदेश।

विषय: उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 यथा संशोधित 1993 एंव 2006 के अधीन सरकारी कर्मचारियो की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में पॉच वर्ष से ऊपर के प्रकरणो में परिवार के आश्रितो मे से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समय सीमा की छूट विषयक प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में "फूलप्रूफ सिस्टम" को लागू किया जाना ।

....

विगत वर्षों से कतिपय मृतक आश्रितों को सेवायोजन दिये जाने के फर्जी मामले प्रकाश में आने एवं रिट याचिका संख्या 11505/2006 अवनीश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे संज्ञान में लिये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या:146/6-पु0-10/2008-1200 (173)/07, दिनांक 24.01.2008 द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली-1974 के अन्तर्गत चयन प्रकिया को और अधिक फुल प्रूफ बनाये जाने एवं हर स्तर पर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2- वर्तमान में प्राप्त शासनादेश संख्या:6/12/73-का-2/2006, दिनांक 28.7.2006 में मृतक आश्रित नियमावली के नियम-5(1) में प्राविधानित है कि "जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा में किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है वहॉ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें अवमुक्त या शिथिल कर सकती है, परन्तु यह और कि उपयुक्त के परन्तुक के प्रयोजन के लिये समबद्ध व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन के लिये नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विलम्ब के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेख/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिये सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी"।

2. उपर्युक्त परिस्थितियों एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन एंव समय सीमा में छूट के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से समय समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के कम मे वर्तमान में निम्न निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

3- सेवाकाल में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के पक्ष में सेवायोजन का फर्जी प्रकरण रोकने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या:18ए-(सातवां संशोधन/मृ0आ0) 2006 दिनांक 24.9.2006 एंव परिपत्र संख्या:18/ए-6रिट(64), 2006, दिनांक 5.9.2006 के अनुरूप प्रस्ताव नियमानुसार तैयार कराकर प्रत्येक त्रैमास के अन्त में एक बार उक्त प्रस्तावों को स्वयं पुलिस उपाधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कार्यालय व्यक्तिगत रूप से पुलिस मुख्यालय के संबंधित अनुभाग में उपस्थित होकर उपलब्ध करायेंगे तथा प्रस्ताव अग्रसारण पत्र पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपना स्पष्ट नाम व मुहर इस टिप्पणी के साथ अंकित करेंगे कि यह प्रस्ताव अमुक क्षेत्राधिकारी कार्यालय द्वारा स्वयं पुलिस मुख्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

4. मृतक आश्रित को समय सीमा में छूट प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव शासन को नवीन शासनादेश दिनांक 28-7-2006 के अनुरूप समय सीमा में छूट विषयक प्रस्ताव में निम्नलिखित अभिलेखों सहित पुलिस मुख्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा :-

1- 20 बिन्दुओं की सम्पूर्ण सूचना निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में(जिसमें कार्यालय प्रमुख द्वारा सभी पृष्ठों पर नाम/पदनाम की मोहर सहित हस्ताक्षर हों)

[redacted]

2- मृतक की पत्नी द्वारा सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सर्व... दिये गये प्रार्थना-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

3- मृतक के पुत्र द्वारा बालिग होने पर सेवायोजन हेतु सर्वप्रथम [illegible] ग... प्रार्थना-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

4- मृत्यु के पाँच वर्ष के अन्दर कुटुम्ब के अन्य सदस्यों द्वारा सेवायोजन प्राप्त न किये जाने का औचित्य, आवश्यक अभिलेख/सबूत।

5- मृत्यु की परिस्थितियों का विवरण जिसमें मृत्यु के कारणो का स्पष्ट उल्लेख हो, तीन प्रतियों में जिसमें पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर एंव नाम/पदनाम मुहर अकिंत हो।

6- मृतक के परिवार के सदस्यों की आय का स्रोत एवं धनराशि का विवरण (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र)।

7- आवेदक के घर के पते पर राजपत्रित अधिकारी से कराई गयी जाँच आख्या की प्रति जिसमें सभी आश्रितो का विवरण नाम, उम्र, आय के श्रोत/धनराशि, विवाहित/अविवाहित, आवेदक को ही सेवायोजन दिलाये जाने का कारण, मृतक की पत्नी द्वारा सेवायोजन न लिये जाने का औचित्य पूर्ण कारण इत्यादि का विस्तृत विवरण अकिंत होना आवश्यक है।

8- मृतक की पत्नी के पक्ष में जारी किया गया पेंशन भुगतानादेश की पठनीय प्रमाणित प्रतिलिपि।

9- मृतक कर्मचारी की जन्मतिथि/भर्ती तिथि/मृत्यु की तिथि ।

5- मृतक आश्रित के सेवायोजन प्रस्ताव सम्बन्धित जनपद/इकाई के क्षेत्राधिकारी कार्यालय/पुलिस उपाधीक्षक अथवा जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी ही लेकर आयेंगे। इस आशय का प्राधिकार पत्र भी लायेगें कि उन्हें सेवायोजन प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है, प्राधिकार पत्र में भेजे जाने प्रस्तावों का उल्लेख होगा तथा नामित अधिकारी का हस्ताक्षर सम्बन्धित जनपद/इकाई के वरिष्ठ/पुलिसअधीक्षक/सेनानायक अथवा कार्यालय -अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होगा। इस हेतु अपने साथ अपने नाम व पदनाम की मुहर अवश्य लायेंगे अन्यथा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगे।

Smit 24/2/08

डा0 संजय एम0 तरडे
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि: विशेष सचिव(गृह),उत्तर प्रदेश शासन,गृह पुलिस अनुभाग-10, लखनऊ को शासन के निर्देश संख्या:146/6-पु0-10/2008-1200(173)/07, दिनांक 24.01.2008 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक,कार्मिक,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- पुलिस महानिदेशक के सहायक,उत्तर प्रदेश लखनऊ
3- पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।
5- अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-20 को पाँच प्रतियों गजट एंव गार्ड फाइल पर रखने हेतु ।
6- समस्त अनुभाग अधिकारी पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद
7- समस्त गोपनीय सहायक,,पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।

अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-1।
संख्या:18/ए-1(05)2008, दिनांक:फरवरी 21 ,2008

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग,उत्तर प्रदेश।

विषय: उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 के अधीन सरकारी कर्मचारियो की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में परिवार के आश्रितो मे से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में "फूलप्रूफ सिस्टम" को लागू किया जाना।

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में यह तथ्य संज्ञान में लाना है कि विगत वर्षों से कतिपय मृतक आश्रितों को सेवायोजन दिये जाने के फर्जी मामले प्रकाश में आने एवं रिट याचिका संख्या 11505/2006 अवनीश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे संज्ञान में लिये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या:146/6-पु0-10/2008-1200 (173)/07, दिनांक 24.01.2008 द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली 1974 के अन्तर्गत चयन प्रकिया को और अधिक फुल प्रूफ बनाये जाने एवं हर स्तर पर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2 उपर्युक्त परिस्थितियों एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का अतिकमण करते हुये वर्तमान में निम्न निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

2अ-मृतक आश्रितो के सेवायोजन का प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

(1) मृतक आश्रितो के सेवायोजम का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।

(2) सेवायोजन हेतु प्रस्तावित मृतक आश्रित से सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र लिया जायेगा जिसमे दिनांक व हस्ताक्षर अकिंत होगा साथ ही सक्षम प्राधिकारी का पृष्ठाकंन अवश्य अकिंत होगा जिससे यह निर्धारित किया जा सकेगा कि उक्त आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र पॉच वर्ष के अन्दर ही दिया गया है अथवा बाद में।

(3) मृतक आश्रित द्वारा दिये गये समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रो का सत्यापन सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से कराया जायेगा तथा हाई स्कूल से कम शिक्षित होने पर उसके शैक्षिक प्रमाण-पत्र का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक से कराया जायेगा। आरक्षित वर्ग के आश्रितो के जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र का सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारियो के माध्यम से कराया जायेगा। सभी सत्यापन आख्याये प्रस्ताव के साथ मूलरूप में ही पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा इसकी द्वितीय प्रति सम्बन्धित जनपद/इकाई के पत्रावली पर रखा जायेगा जो स्थाई अभिलेख होगा।

(4) यदि किसी मामले में एक से अधिक आश्रित सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते है तो सक्षम प्राधिकारी उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 के नियम-7 मे दिये गये प्रावधानो के

अन्तर्गत अधिकारो का प्रयोग करते हुये उपयुक्त मृतक आश्रित का वयन करके प्रस्ताव तैयार करायेगे।

(5) पुलिस मुख्यालय भेजे जाने वाले मृतक आश्रितों के सेवायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव का चेकलिस्ट प्रारूप 36 बिन्दुओं को होगा, जिसमें प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट सूचना अंकित करने के उपरान्त चेक लिस्ट में अंकित बिन्दुओ के समक्ष भेजे जाने वाले प्रपत्रों का परिशिष्ट के रूप में उल्लेख किया जायेगा।(चेकलिस्ट प्रारूप की प्रति संलग्न है)

(6) मृत कर्मचारी से सम्बन्धित सभी सूचनाये उसके सेवाभिलेख में अंकित तथ्यो के आधार पर ही अंकित की जायेगी जन्मतिथि/भर्ती की तिथि एंव मृत्यु की तिथि के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में वे कमशः सेवा अभिलेख के प्रथम-पृष्ठ एंव मृत्यु का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जायेगी।

(7) मृत कर्मचारी के कुटुम्ब की सूची के सम्बन्ध में पेंशन भाग-2 की प्रमाणित प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जायेगी।

(8) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली- 1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन सेवायोजन का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध मृत कर्मचारी के मूल निवास एंव अस्थाई निवास(यदि कोई हो) के पते पर राजपत्रित अधिकारी से जॉच कराई जायेगी जिसमें चेक लिस्ट के प्रारूप के बिन्दु संख्या-18 के अनुरूप स्पष्ट आख्या प्राप्त की जायेगी । जॉच आख्या प्रस्ताव के साथ मूलरूप में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर प्रेषित की जायेगी।

(9) सेवायोजन हेतु मृत कर्मचारी की पत्नी से इस आशय का शपथ-पत्र लिया जायेगा कि वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है प्रारूप "क" में शपथी के फोटोग्राफ युक्त शपथ-पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूलरूप में प्रेषित किया जायेगा।

(10) सेवायोजन हेतु मृत कर्मचारी के परिवार के अन्य समस्त वयस्क सदस्यो का इस आशय का शपथ-पत्र लिया जायेगा कि वे किसे सेवायोजन दिलाना चाहते है । प्रारूप "ख" में शपथी के फोटोग्राफ युक्त शपथ-पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूलरूप में प्रेषित किया जायेगा।

(11) सेवायोजन हेतु प्रस्तावित मृतक आश्रित से प्रारूप "ग" में शपथी के फोटोग्राफ युक्त शपथ-पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूलरूप में प्रेषित किया जायेगा।

(12) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली- 1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन किसी भी आश्रित को सेवायोजन का लाभ नही दिया गया है से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र-घ भर कर प्रेषित किया जायेगा।

(13) मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन उसके स्थाई व अस्थाई पते तथा अभिसूचना मुख्यालय से कराया जायेगा जिसे मूलरूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा। चरित्र सत्यापन प्रपत्र पर मृतक आश्रित अभ्यर्थी की फोटोग्राफ चस्पा होगी जिसे सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा किस व्यक्ति का सत्यापन किया गया है।

(14) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो छः माह से अधिक का न हो मूलरूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा।

(15) मृतक आश्रित का पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ प्रस्ताव के प्रस्तर-30 के समक्ष चस्पा किया जायेगा एंव दो फोटोग्राफ अलग से सादे कागज पर चस्पा किया जायेगा जिस पर मृतक आश्रित का विवरण अकिंत किया जायेगा जिसे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वंय ही प्रमाणित किया जायेगा।

(16) मृतक आश्रित का नाप जोख सादे कागज पर किया जायेगा। प्रतिसार निरीक्षक निरीक्षक द्वारा नाप जोख स्वंय किया जायेगा और अपने हाथ से नाप अकिंत की जायेगी तथा प्रमाण-पत्र आश्रित को फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित किया जायेगा। प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर के साथ नाम पदनाम की मुहर एंव दिनाक अंकित की जायेगी प्रमाण-पत्र पर किसी भी प्रकार की कोई कटिंग अथवा ओवर राइटिंग नही की जायेगी। प्रमाण पत्र को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वंय प्रतिहस्ताक्षरित कर मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित किया जाय। जिसका प्रारूप संलग्न है।

(17) मृतक आश्रित का चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल मैनुआल में निर्धारित प्रारूप में ही किया जायेगा यदि किसी पद पर नाप जोख की आवश्यकता होगी तो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नाप जोख तथा वजन भी अकिंत किया जायेगा, तथा प्रमाण-पत्र पर आश्रित का फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित किया जायेगा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर के साथ नाम पदनाम की मुहर एंव दिनाक अकिंत की जायेगी प्रमाण-पत्र पर किसी भी प्रकार की कोई कटिंग अथवा ओवर राइटिंग नही की जायेगी। प्रमाण पत्र को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वंय प्रतिहस्ताक्षरित कर मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित किया जाय

(18) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन इस आशय का प्रमाण-पत्र की प्रस्तावित मृतक आश्रित के सम्बन्ध मे प्रेषित की जाने वाली सभी सूचनाओ का भली भाति परीक्षण कर लिया गया है। अंकित सूचनाये एंव संलग्न प्रपत्र पूर्णता सत्य है एंव प्रकरण का पुलिस कार्यालय में रखे मृतक आश्रितो के सेवायोजन प्रदान किये जाने विषयक स्थायी रजिस्टर में क्रमांक पर अकिंत कर दिया गया है से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र-घ भर कर प्रेषित किया जायेगा ।

(19) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित 1993 एंव 2006 के अन्तर्गत तैयार किये गये प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर एंव उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों पर स्वंय कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर पदनाम की मुहर के साथ अकिंत होगा तथा कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर के द्वारा ही भेजा जायेगा।

(20) मृतक आश्रित के सेवायोजन प्रस्ताव सम्बन्धित जनपद/इकाई के क्षेत्राधिकारी कार्यालय/पुलिस उपाधीक्षक अथवा जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी ही लेकर आयेंगे। इस आशय का प्राधिकार पत्र भी लायेगें कि उन्हें सेवायोजन प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है, प्राधिकार पत्र में भेजे जाने प्रस्तावों का उल्लेख होगा तथा नामित अधिकारी का हस्ताक्षर सम्बन्धित जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होगा। इस हेतु अपने साथ अपने नाम व पदनाम की मुहर अवश्य लायेंगे अन्यथा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगे, जिससे उनसे सेवायोजन के सत्यापन का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सके । प्रमाण-पत्र का प्रारूप संलग्न है ।

(21) पीएसी वाहिनियो के मृतक आश्रित के सेवायोजन प्रस्ताव दो प्रतियों पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा क्योकि प्रस्ताव अनुमोदनोपरान्त

आवश्यक कार्यवाही हेतु पीएसी मुख्यालय को भेजा जाता है तथा इसकी प्रति पुलिस मुख्यालय मे रखी जायेगी।

(22) प्रस्ताव के साथ कार्यालय के सम्बन्धित सहायक मृतक आश्रित के सेवायोजन की मूल पत्रावली सहित अनिवार्य रूप से राजपत्रित अधिकारी के साथ पुलिस मुख्यालय में आयेंगे।

(23) मृतक आश्रित का जो प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा, उसकी एक अतिरिक्त प्रति स्व0 कर्मी के सम्बन्धित प्रस्तावक कार्यालय में स्थायी रूप से रखा जायेगा, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जायेगा। यह स्थायी अभिलेख होगा।

(24) मृतक आश्रितों के सवायोजन के प्रकरण में जो भी पत्राचार जनपद/इकाई से किया जायेगा उस पत्र पर अधिकारी का नाम/पदनाम अंकित होगा अन्यथा पुलिस मुख्यालय द्वारा उसे संज्ञान में नहीं लिया जायेगा ।

2ब- पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन आदेश के उपरान्त मृतक आश्रितो को नियुक्ति आदेश दिये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व

(1) पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुमोदन "बारकोड" युक्त अनुमोदन पत्र निर्गत किया जायेगा तथा अनुमोदन आदेश पर आश्रित का जनपद/इकाई से प्राप्त प्रमाणित फोटो चस्पा रहेगा । कार्यालयाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी "बारकोड" एंव फोटोयुक्त अनुमोदन आदेश मूल रूप में प्राप्त होने पर ही सेवायोजन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

(2) कार्यालयाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के पक्ष में सेवायोजन हेतु पुलिस मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त स्वयं आश्रित का साक्षात्कार लेंगे एवं पूर्णरूपेण संस्तुष्ट होने के उपरान्त कि वह वास्तव में मृतक आश्रित है तथा सब प्रकार शासकीय सेवा हेतु अर्ह है। इसके सेवायोजन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है, तभी उसे सेवायोजित करने की कार्यवाही करेंगे।

(3) मृतक आश्रित की नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति अधिकारी पूरी तरह संस्तुष्ट होने के उपरान्त मृतक आश्रित से एक शपथ-पत्र जिसमें उसका फोटोग्राफ भी चस्पा होगा, लेंगे, जिसमें स्व0 कर्मी का नाम, पदनाम,मृत्यु का दिनांक तथा उसके वास्तविक मृतक आश्रित होने एवं परिवार के अन्य किसी सदस्य द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ न लिये जाने का उल्लेख होगा। उक्त शपथ-पत्र की एक प्रति आश्रित के सेवायोजन पत्रावली पर रखा जायेगा तथा दूसरी छायाप्रति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वंय प्रमाणित करते हुये मृतक आश्रित के नियुक्ति आदेश की प्रति सहित कार्यालय प्रधान अपने स्वयं के हस्ताक्षरित पत्र द्वारा इसे पुलिस मुख्यालय अग्रसारित करेंगे। (आश्रित से नियुक्ति के पूर्व लिये जाने वाले शपथ-पत्र संलग्न प्रारूप में लिया जायेगा)

(4) मृतक आश्रितो के पक्ष में जनपद/इकाई स्तर से निर्गत होने वाले नियुक्ति आदेश का आलेख सादे "फुलस्केप पेपर" पर संलग्न प्रारूप में ही निर्गत किया जायेगा (नियुक्ति आदेश का प्रारूप संलग्न है)

(5) इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि विगत वर्षों में कतिपय मृतक आश्रितों के फर्जी सेवायोजन के मामले प्रकाश में आने के फलस्वरूप शासन ने शासनादेश संख्या:146/6-पु0-10/2008-1200(173)/07, दिनांक 24.01.2008 द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया को और अधिक फुल प्रूफ बनाये जाने एवं हर स्तर पर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये हैं। अतः एस0आई0(एम)/आशुलिपिक तथा उपनिरीक्षक ना0पु0 के दक्षता मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश पुलिस मुख्यालय स्तर से नहीं निर्गत किये जायेंगे है। यह आदेश भविष्य में सम्बन्धित जनपद/इकाई के परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, के स्तर से, पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन आदेश निर्गत किये जाने के उपरान्त, नियमानुसार निर्गत किये जायेंगे।

(6) किसी भी मृतक आश्रित को सर्वप्रथम उसी जनपद/इकाई में नियुक्ति प्रदान की जायेगी, जिस जनपद/इकाई से आश्रित के स्व0 पिता/पति की मृत्यु हुयी। किन्तु यदि आश्रित महिला है और उसे कान्सटेबिल के पद पर नियुक्त किया जाना है तो उसकी नियुक्ति आदेश सम्बन्धित वाहिनी/इकाई के जनपदो में ही की जायेगी क्योकि पीएसी वाहिनियों में महिला आरक्षियों की नियुक्ति नहीं की जाती है तथा इकाई में महिला आरक्षियो की किट नही होती है।

(7) मृतक आश्रित के सेवायोजन के उपरान्त उसके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष तक उसे किसी परिस्थिति में वहाँ से स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा, तथापि यदि किसी स्तर से उसका स्थानान्तरण हो जाता है, तो सम्बन्धित जनपद/इकाई से उक्त आश्रित को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष तक किसी भी परिस्थिति में कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो सम्बन्धित क़ार्यालय स्वंय उत्तरदायी होगें । यदि किन्ही विशेष परिस्थिति मे ऐसा किया जाना अपरिहार्य हो तो इस सम्बन्ध मे पूर्ण विवरण प्रेषित कर पुलिस मुख्यालय का स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिया जाय ।

3. कृपया मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजित करने के सम्बन्ध में दिये जा रहे दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह परिपत्र कार्यालय की गार्डफाइल में स्थाई रूप से रखा जायेगा।
संलग्नक उपरोक्तानुसार ।

Smith 24/1/08
डा0 संजय एम0 तरडे
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि: विशेष सचिव(गृह),उत्तर प्रदेश शासन,गृह पुलिस अनुभाग-10, लखनऊ को शासन के निर्देश संख्या:146/6-पु0-10/2008-1200(173)/07, दिनांक 24.01.2008 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक,कार्मिक,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- पुलिस महानिदेशक के सहायक,उत्तर प्रदेश लखनऊ
3- पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।
5- समस्त विशेष कार्याधिकारी,पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।
6- अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-20 को पॉच प्रतियों गजट एंव गार्ड फाइल पर रखने हेतु ।
7- समस्त अनुभाग अधिकारी पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद
8- समस्त गोपनीय सहायक,,पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\18-A-1-(5)-2008circulor.doc

380

चेक लिस्ट/प्रारूप

उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 सपठित नियमावली-1993, 2006 के अधीन सरकारी कर्मचारियो की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त परिवार के आश्रितो मे से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव

1-	मृत सरकारी सेवक का नाम	---------------
2-	मृत सरकारी सेवक का पदनाम	---------------
3-	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु पूर्व नियुक्ति स्थान/कार्यालय का नाम	---------------
4-	मृत सरकारी सेवक की जन्मतिथि (सेवा अभिलेख के अनुसार प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)	--------------- परिशिष्ट--------
5-	मृत सरकारी सेवक की भर्ती तिथि	---------------
6-	मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति का प्रकार(तदर्थ/नियमित/स्थाई/अस्थाई आकस्मिक)	---------------
7-	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु तिथि (मृत्यु का प्रमाण-पत्र के अनुसार, कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किया जाय) ।	---------------
8	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की परिस्थितियो का संक्षिप्त विवरण	---------------
9	मृत सरकारी सेवक, मृत्यु के समय डियुटी पर था अथवा अवकाश पर	---------------
10	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यो का नाम आयु (हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार)तथा आय व वैवाहिक स्थिति	नाम---------------आयु नाम---------------आयु नाम---------------आयु
11	मृत सरकारी सेवक की एक से अधिक पत्नियाँ हो तो पत्नियो के नाम आयु(हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार)	नाम---------------आयु नाम---------------आयु
12	मृत सरकारी सेवक के पत्नी के द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है, का विवरण एंव परिवार के समस्त सदस्यो वयस्क /अवयस्क दोनो का विवरण (नाम/आयु/शिक्षा/व्यवसाय)अकिंत होगा सम्मिलित हो से सम्बन्धित शपथ-पत्र (प्रारूप-क)	परिशिष्ट----------
13	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यो का वार्षिक आय का विवरण	परिशिष्ट--------- परिशिष्ट---------
14	इस आशय का प्रमाण-पत्र की स्थायी अभिलेख एंव पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची से सेवायोजन के प्रस्ताव के लिये प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की समीक्षा कर ली गयी कोई अन्तर नही पाया गया है पेशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की प्रमाणित प्रति (पेंशन प्रपत्र भाग दो संलग्न किया जाय)	सदस्यो के नाम की सूची परिशिष्ट-- पेशनभाग दो की प्रमाणित सूची परिशिष्ट--
15	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के वयस्क सदस्यो का शपथ-पत्र/ सहमति जिन्हे सेवायोजन दिलाना चाहते हो, के पक्ष में (प्रारूप-ख)	परिशिष्ट--------- परिशिष्ट--------- परिशिष्ट--------- परिशिष्ट---------

कार्यालय प्रमुख का नाम
पद नाम
जनपद/इकाई का नाम

16	मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पक्ष में निर्गत किये गये पी0पी0ओ0/जी0पी0ओ0 की संख्या व दिनांक (प्रमाण हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	---------------- ---------------- ---------------- परिशिष्ट---------
17	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्यो द्वारा सेवायोजन की मॉग की जा रही है तो उनमें से जिस आश्रित को नामित किया जा रहा है उससे नामित किये जाने के कारण सहित विस्तृत विवरण अकिंत करें	---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
18	मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली-1974 के अर्न्तगत इससे पूर्व कुटुम्ब के किसी आश्रित सदस्य की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई हो तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट किया जाय किस सम्बन्धित को किस पद पर नियुक्ति दी गयी है तथा इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख करें।	
19	इस आशय का प्रमाण-पत्र कि मृत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 सपठित नियमावली-1993, 2006 के अधीन के अधीन सेवायोजन का लाभ प्रदान नही किया गया है से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (प्रारूप-घ)	---------------- परिशिष्ट------------
20	मृत सरकारी सेवक के घर के पते (स्थायी एंव अस्थायी) पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से कराई गयी जॉच आख्या की मूल प्रति जिसमे मृतक के कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को पूर्व में सेवायोजन का लाभ तो प्रदान नही किया गया है तथा अवयस्क/वयस्क सदस्यो की वैवाहिक स्थिति तथा आय का श्रोत और यदि किसी सेवा में है तो उसका विवरण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र	परिशिष्ट------------ अनुलग्नक- अनुलग्नक- अनुलग्नक-
21	मृतक आश्रित का नाम	----------------
22	मृतक आश्रित की जन्मतिथि हाईस्कूल के सनद् अथवा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अंको तथा शब्दो में।	---------------- ---------------- ----------------
23	मृतकआश्रित की शैक्षिक योग्यता	----------------
24	मृत सरकारी सेवक के आश्रित का शपथ-पत्र जिन्हे सेवायोजन हेतु नामित किया गया है (प्रारूप-ग)	परिशिष्ट------------
25	मृतक आश्रित का प्रार्थना-पत्र जिसमें शैक्षिक योग्यता आयु, अपेक्षित पद का उल्लेख तथा जाति विषयक प्रमाण-पत्र (यदि आरक्षित वर्ग से है तो दिनांक सहित)	प्रार्थनापत्र परिशिष्ट------ परिशिष्ट------ परिशिष्ट------ -------- परिशिष्ट------

कार्यालय प्रमुख का नाम
पद नाम
जनपद/इकाई का नाम

<table>
<tr><td>26</td><td>शैक्षिक प्रमाण-पत्रों/अंक तालिकाओ का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्व विद्यालय से एंव हाईस्कूल से कम शिक्षितहोने पर जिला विद्यालय निरीक्षक से सत्यापन कराकर सत्यापन आख्या (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)</td><td>मा0शि0बोर्ड- परिशिष्ट-----
विश्वविद्यालय परिशिष्ट----
जि0वि0नि0 परिशिष्ट-----</td></tr>
<tr><td>27</td><td>मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन स्थाई व अस्थाई पते पर तथा अभिसूचना मुख्यालय द्वारा कराया गया चरित्र सत्यापन आख्या मूलरूप में संलग्न की जायेगी।</td><td>स्थाई पते पर
परिशिष्ट---
अस्थाई पते पर
परिशिष्ट--
अभि0मुख्यालय
परिशिष्ट---</td></tr>
<tr><td>28</td><td>मृतक आश्रित के पक्ष दो राजपत्रित अधिकारियो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो छः से पुराना न हो</td><td>1-राजपत्रितअधिकारीनाम----
परिशिष्ट-----
1-राजपत्रितअधिकारीनाम----
परिशिष्ट-----</td></tr>
<tr><td>29</td><td>मृतक आश्रित की वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो जीवित पत्नी का नाम/ आयु व शैक्षिक योग्यता</td><td>नाम---------------आयु</td></tr>
<tr><td>30</td><td>मृतक आश्रित से निम्न स्थिति में तत्सम्बन्धी विवरण सहित इस आशय घोषणा पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाय कि
1-यदि वर्तमान समय में मृतक आश्रित कही सेवारत है ?
2-यदि पूर्व में सेवारत रहा हो?
3-यदि सेवा त्यागपत्र दे दिया तो?
4-यदि सेवा से पृथक कर दिया गया हो तो</td><td>-------------------
परिशिष्ट-----</td></tr>
<tr><td>31</td><td>यदि मृतक आश्रित आरक्षित वर्ग का है तो जाति प्रमाण-पत्र पत्र (जो जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा)</td><td>1-प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले राजपत्रित अधिकारी
नाम------------------
परिशिष्ट-----</td></tr>
<tr><td>32</td><td>मृतक आश्रित का नवीनतम फोटोग्राफ जो छः से पुराना न हो चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय</td><td>प्रमाणित फोटोग्राफ</td></tr>
<tr><td>33</td><td>मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र)(कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)</td><td><table><tr><td>ऊँचाई</td><td>सीना फुलाने पर</td><td>सीना विना फुलाये</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>34</td><td>मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)</td><td><table><tr><td>ऊँचाई</td><td>सीना फुलाने पर</td><td>सीना विना फुलाये</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>35</td><td>इस आशय का प्रमाण-पत्र की पुलिस कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये "मृतक आश्रित सेवायोजन रजिस्टर" में अकिंत कर दिया गया है से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (प्रारूप-च)</td><td>स्थाई जिस्टर का
पृष्ठ संख्या---
कम संख्या---
प्रमाण-पत्र
परिशिष्ट------</td></tr>
</table>

कार्यालय प्रमुख का नाम
पद नाम
जनपद/इकाई का नाम

36	इस आशय का प्रमाण-पत्र की उपरोक्त कम सं0 01 से लेकर कम संख्या-35 तक अकिंत सभी प्रविष्टियो को मेरे द्वारा भॅली भॅाति जॉच कर लिया गया है जो सूचनाये अकिंत है वे सही है एंव आवेदक द्वारा मॉगे जा रहे पद पर सेवायोजन की संस्तुति की जाती है।(अपेक्षित पद नाम का उल्लेख कार्यालयाध्यक्ष द्वारा करते हुये संस्तुति की जायेगी)	----------------------------

कार्यालय प्रमुख का नाम
पद नाम
जनपद/इकाई का नाम

58

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद/इकाई--------------- के पत्र संख्या--------------- दिनांक --------------- के माध्यम से प्रेषित स्व0 --जिनकी मृत्यु दिनांक---------- सेवाकाल में हुई है के आश्रित श्री ------------------------------ को ------------ के पद पर सेवायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराया गया है। यह प्रस्ताव समस्त संलग्नको सहित जनपद/इकाई '--------------- से ही प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रो का परीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है, प्रस्ताव पूर्णतया सही है तथा इसी जनपद/इकाई के स्व0 कर्मी के वास्तविक आश्रित के पक्ष में प्रस्ताव है । यह प्रकरण फर्जी नही है एंव मृतक आश्रित के द्वारा उपलब्ध कराये गये शिक्षा एंव जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्रो की सत्यता की पुष्टि कमशः जिला विद्यालय निरीक्षक /शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय एंव सम्बन्धित जिला अधिकारी के माध्यम से करा ली गयी है। इसके पूर्व इस स्व0 कर्मी के किसी अन्य आश्रित को सेवायोजन का लाभ नही दिया गया है। इसकी पुष्टि अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाती है ।

हस्ताक्षर :-
नाम :-
पदनाम:-
कार्यालय का नाम:-
(राजपत्रित अधिकारी का नाम/
पदनाम की मुहर)

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक ---------- को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

30:

(नियुक्ति देने के पूर्व मृतक आश्रित से लिये जाने वाले शपथ-पत्र)

शपथ-पत्र का प्रारूप-2

शपथी का फोटोग्राफ नोटरी द्वारा प्रमाणित

नाम--------------उम्र-----वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0 ------------------ निवासी ग्राम ---------- पोस्ट ------------- थाना -------- जनपद-------- का शपथ-पत्र

मैं ---------------------उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित अभिकथन करता है:-

(1) यह कि शपथी द्वारा अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में जो सूचना/शैक्षिक प्रमाण-पत्र तथा प्रपत्र इत्यादि दिया गया है वह सही है।

(2) यह कि शपथी द्वारा सेवायोजन के सम्बन्ध में दिये गये मृतक कर्मी के सम्बन्ध मे नाम/पद/नियुक्ति का विवरण आदि सही है एवं वह मृतक का वास्तविक वारिस है।

(3) यह कि शपथी के परिवार में स्व0 कर्मी की मृत्यु के बाद किसी भी अन्य सदस्य द्वारा कभी भी मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ नहीं लिया गया है

(4) यह कि शपथ-पत्र के प्रस्तर- 1 से 3 तक में अकिंत कथन सत्य है तथा शपथी द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 के अधीन जनपद/इकाई-------------- स्व0---------------- -------------------------के आश्रित ---------------------- का मृतक आश्रित के रूप में ----------के पद पर सेवायोजन हेतु शारीरिक नाप जोख विवरण निम्नवत् है:-

लम्बाई ------------ सेन्टीमीटर

<u>सीने की नाप (पुरूष अभ्यर्थी के लिये)</u>

सीना विना फुलाये-------------
सीना फुलाने पर--------------

<u>मृतक आश्रित का वजन(महिला अभ्यर्थी के लिये)</u>

वजन ---------------- किलोग्राम में

हस्ताक्षर :-
नाम :-
पदनाम:-

<u>प्रतिहस्ताक्षरित</u>

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम/
पदनाम की मुहर)

नियुक्ति आदेश का प्रारूप (कान्सटेबिल के पद)

आदेश

स्व0------------------ .(पदनाम सहित नाम) का दिनांक ---------- को मृत्यु के उपरान्त आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी ------------------- निवासी- ग्राम -------- पोस्ट -------------- थाना -------- जनपद-------- को उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये के अनुमोदन आदेश संख्या: 18/ए---------------- दिनांक ----------- के अनुपालन मे उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली- 1974 सपठित नियमावली-1993, 2006 के अधीन कान्सटेबिल (रिक्रूट) के पद पर अस्थाई रूप से जनपद/इकाई ---------- में नियुक्त प्रदान की जाती है। इन्हें नियमानुसार अनुमन्य नियत वेतन/स्टाइपेन्ड रूपया------------ दिया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई होगी जो कभी समाप्त की सकती है। प्रतिसार निरीक्षक उक्त मृतक आश्रित अभ्यर्थी को पूर्ण किट प्रदान कर जनपद में ही रखकर प्रारम्भिक प्रशिक्षण (जे0टी0सी0) कराना सुनिश्चित करें।

नाम
पदनाम
कार्यालय का नाम
नियुक्ति प्राधिकारी

कार्यालय का नाम-----------------
आदेश संख्या दिनॉक----------

प्रतिलिपि प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन -------------- को हिन्दी आदेश पुस्तिका में प्रकाशित करने तथा उक्त अभ्यर्थी के भर्ती /प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही समय से पूर्ण करने, जे0टी0सी0 कराने किट देने हेतु प्रेषित ।भर्ती से सम्बन्धित अभिलेख भली भाति अवलोकन्न करने हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है जो अवलोकनोपरान्त मूलरूप में इस कार्यालय को अभिलेख हेतु वापस प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

संलग्नक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि आकिंक, पुलिस कार्यालय --------- को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्री/कुमारी/श्रीमती --------------------------पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0----------------- निवासी- ग्राम -------- पोस्ट ------------ थाना -------- जनपद-------- को इस आशय से प्रेषित है कि वे आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपना समस्त शैक्षिक अभिलेख प्रमाण-पत्र इत्यादि एंव मेस एडवांस व जाड़े व गर्मी के वस्त्र एंव विस्तर आदि लेकर पुलिस लाइन ----------- मे आगमन सुनिश्चित करें।घर से नियुक्ति स्थान तक आने का कोई यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

<u>संख्या तथा दिनांक वही</u>

प्रतिलिपि पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या:18/ए- दिनांक ----------- के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित

309

नियुक्ति आदेश का प्रारूप(चतुर्थ श्रेणी के पद)

आदेश

स्व0------------------ (पदनाम सहित नाम) का दिनांक ---------- को मृत्यु के उपरान्त आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी ------------------- निवासी- ग्राम --------- पोस्ट -------------- थाना --------- जनपद--------- को उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये के अनुमोदन आदेश संख्या: 18/ए------------------ दिनांक ------------ के अनुपालन मे उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली- 1974 सपठित नियमावली-1993, 2006 के अधीन चतुर्थ श्रेणी के पद पर वेतनमान रूपया------------ में अस्थाई रूप से जनपद/इकाई कार्यालय का नाम -------------- नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई होगी जो कभी समाप्त की सकती है ।

नाम
पदनाम
कार्यालय का नाम
नियुक्ति प्राधिकारी

कार्यालय का नाम-----------------
आदेश संख्या दिनॉक-----------

प्रतिलिपि प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन --------------- को हिन्दी आदेश पुस्तिका में प्रकाशित करने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि आकिंक, पुलिस कार्यालय --------- को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्री/कुमारी/श्रीमती --------------------पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0------------------ निवासी- ग्राम --------- पोस्ट ------------- थाना --------- जनपद--------- को इस आशय से प्रेषित है कवे आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपना समस्त शैक्षिक अभिलेख प्रमाण-पत्र इत्यादि एंव मेस एडवास व जाड़े व गर्मी के वस्त्र एंव विस्तर आदि लेकर पुलिस लाइन ------------ मे आगमन सुनिश्चित करें।घर से नियुक्ति स्थान तक आने का कोई यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

<u>संख्या तथा दिनांक वही</u>

प्रतिलिपि पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या:18/ए- दिनांक ---------- के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित

परिशिष्ट-"घ"

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मृत सरकारी सेवक के किसी आश्रित को मृतक आश्रित सेवा नियमावली-1974 के अन्तर्गत कभी भी सेवायोजित नही किया गया है । मृतक स्व()----------------------के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी ------------------ को पद----------पद सेवायोजित किए जाने का प्रथम प्रकरण है । यह प्रकरण सत्य है एवं मेरे द्वारा पूर्ण परीक्षण कर लिया गया है ।

दिनांक:

(नाम एवं हस्ताक्षर)
(वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर नाम की मुहर लगाई जाय)

परिशिष्ट-"च"

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रारूप के कालम 1 से 30 तक अंकित सम्पूर्ण सूचनाओं का मेरे द्वारा भली भांति परीक्षण कर लिया गया है। अंकित सूचनाएं एवं संलग्न प्रपत्र पूर्णतः सत्य है एवं आवेदक मांगे गये पद की योग्यता रखता है तथा इस प्रकरण का कार्यालय में रखे रवाई रजिस्टर के क्रमांक---- पर अंकन कर दिया है ।

(नाम एवं हस्ताक्षर)
(वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर नाम की मुहर लगाई जाय)

300

प्रपत्र 'ग'

समक्ष पुलिस उप महानिरीक्षक(स्थापना) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-।

आवेदक का शपथ पत्र

नाम --उम्र लगभग--------------वर्ष--- पुत्र/पुत्री श्री

------- ------ निवासी---------------------------थाना----------------------- का शपथ पत्र।

मैं-----------------------उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करनता हूँ:-

1 यह कि मैं स्व0-------------का पुत्र/पुत्री/पत्नी/अविवाहित/ विधवा पुत्री हूँ । जो मृत्यु से पूर्व उ0प्र0 पुलिस में------ पद ---------------------स्थान पर कार्यरत थे ।

2 यह कि मै उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में -------------------पद पर नियुक्ति हेतु जिला -------------------------से एक मृतक आश्रित अभ्यर्थी हूँ । इस पद हेतु यदि मुझे अर्ह अथवा पद के सापेक्ष अपेक्षित योग्यता/कुशलता के न्यूनतम स्तर के अनुकूल नही पाया जाता तो मैं अन्य किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हूँ ।

3- यह कि मेरे विरूद्ध कोई अपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नही हुआ है और न ही कोई पुलिस विवेचना लम्बित है ।

4- यह कि मैं किसी राष्ट्र विरोधी राजनैतिक पार्टी का कभी सदस्य नही रहा हूँ और न हूँ ।

5- यह कि कभी मुझे अपराधिक मामले में गिरफतार नही किया गया है ।

6- यह कि मेरा कभी अपराधिक मामले में पुलिस में चालान नही किया गया है ।

7- यह कि आवेदन पत्र में उल्लेखित यदि कोई बात किसी भी समय असत्य पायी जाय अतः किसी सत्य को छिपाया गया हो तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय तथा मुझे विधिक दण्ड दिया जाय ।

8- यह कि आवेदन पत्र भरने के दस वर्ष पूर्व तक किसी विध्वसंक कार्य में भाग नही लिया ।

9- यह कि अपराधिक मामले जो मेरे विरूद्ध पंजीकृत हुए है या जिसमें मेरा चालान किया गया था जो मेरे विरूद्ध विचाराधीन न्यायालय अथवा विवेचनाधीन पुलिस है उन विवरण निम्नवत् है:-

10- यह कि यदि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाये जाये तो कोर्स/सर्विस से तुरन्त पृथक कर दिया जावे तथा विधिक दण्ड दिया जाय ।

11- मैं--------------------------------------पत्नी/पुत्र/पुत्री स्व0 श्री---------------------------------प्रमाणित करता हूँ कि संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा किसी नियंत्रित किसी निगम में कभी भी सेवा से पदच्युत नही किया गया /की गयी हूँ ।

(11) मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित नहीं हूँ ।

(12) मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पिता/पति की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के किसी आश्रित को (जिसमें मैं भी शामिल हूँ) उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अधीन कभी भी सेवायोजित नहीं किया गया है।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

मैं .... उपयुक्त अभिसाक्षी, शपथपूर्वक सत्यापित करती/करता हूँ कि इस शपथ पत्र के प्रस्तर .... में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य हैं, इस शपथ पत्र के प्रस्तर......... में उल्लिखित तथ्य अभिलेखों पर आधारित है, इस शपथ पत्र के प्रस्तर..... .... में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है, इस शपथ पत्र में उल्लिखित...प्रस्तर तथ्य विधि सलाह पर आधारित है ओर जिन्हें मैं विश्वास करती/करता हूँ कि वह भी सत्य है, इसका कोई भी अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है । अस्तु ईश्वर मेरी रक्षा करें ।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

शपथ कर्ता/अभिसाक्षी का निशान-अंगूठा

******

आज दिनांक................. को ....बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला के प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

****

परिशिष्ट-"क"

मृतक के आश्रित के सम्पूर्ण परिवार (आश्रित पत्नी, पुत्रियां तथा पुत्रों) द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप ।

---

1 यह कि मैं वहलफ बयान करता हूँ कि मेरा नाम---------------------- पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0-------------------------- निवासी ग्राम--------------------पोस्ट------------थाना-------------------जिला-----------------का निवासी हूँ ।

2- यह के मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरे पति/पिता श्री-----------------------------------पुलिस विभाग में (पद का नाम का उल्लेख करे) पर (जनपद के नाम का उललेख करें) में थाना-------------या कार्यालय-------------में कार्यरत थे जिनकी मृत्यु दिनांक:---------------को (बीमारी/मुठभेड़ या अन्य कारण जो भी अंकित करें) हो चुकी है ।

3- यह कि मै वहलफ बयान करता हूँ कि मेरी जन्मतिथि (हाईस्कूल के सनद के अनुसार) है । समस्त श्रोत से प्राप्त की गयी मेरी मासिक आय---------------है । तथा वार्षिक आय----------है । मेरी शादी वर्ष---------- मे हुई मेरी पत्नी/पति का नाम ------------------ है ।

4- यह कि मैं वहलफ पर बयान करता हूँ कि मेरे स्व0 पति/पत्नी पिता के स्थान पर मृतक आश्रित नियमावली-1974 के अन्तर्गत मेरे पुत्र/पुत्री/बहन/भाई नाम----------- पुलिस विभाग में पद------------- पर सेवायोजित किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नही है ।

5- यह कि बहलफ बयान करता हूँ कि मृतक आश्रित नाम-------------------------- स्व0----------------------- के वारिस है ।

6- यह कि बहलफ बयान करता हूँ कि मृतक स्व0-------------------- के स्थान पर अभी तक किसी को नौकरी नही दी गयी है ।

7- सह कि मैं वहलफ बयान करता हूँ कि उपरोक्त कथन सत्य है यदि असत्य पाया गया तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य होगी ।

8- यह कि उपरोक्त बयान हलफी की धारा-1 से 7 तक मेरे निजी ज्ञान से सब सत्य है कुछ असत्य नही है एवं कोई महत्वूपर्ण तथ्य छिपाया नही गया है । ईश्वर मेरी मदद करें ।

परिशिष्ट-"ख"

मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कराये जाने हेतु परिवार का शपथ पत्र ।

1 मैं शपथनी श्रीमती------ पत्नी-------------- स्व0-------- ग्राम------ पोस्ट---------- थाना--------- तहसील----------- जनपद------------------ की निवासिनी हूँ और शपथपूर्व निम्न कथन करती हूँ:-

2- यह कि शपथनी जन्म से भारतीय नागरिक है ।

3- यह कि शपथनी एवं शपथनी के परिवार के निम्न सभी सदस्य(सबका नाम) मेरे पुत्र/पुत्री नाम---- को पुलिस विभाग के पद---------- पर सेवायोजित कराना चाहते है।

4- यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन का लाभ पूर्व में या कभी प्रदान नही किया गया है ।

5- यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य श्री------------ को मृतक आश्रित के रूप में सेवायेजित कराये जाने पर कोई आपत्ति नही है । इनकी शैक्षिक योग्यता-------- है ।

6- यह कि मैं शपथनी एवं परिवार के समस्त सदस्य जिनके हस्ताक्षर क्रम से शपथ पत्र पर अंकित है, द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शपथ पत्र की धारा-1 से 5 तक मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है । ईश्वर मेरी मदद करें ।

शपथनी-
एवं परिवार के सदस्यों
के हस्ताक्षर ।

परिशिष्ट-"क"

मृतक के आश्रित के सम्पूर्ण परिवार (आश्रित पत्नी, पुत्रियां तथा पुत्रों) द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप ।

----

1 यह कि मै वहलफ बयान करता हूँ कि मेरा नाम------------------------ पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0--------------------------- निवासी ग्राम---------------------पोस्ट-------------थाना------------------जिला------------------का निवासी हूँ ।

2- यह के मै वहलफ बयान करता हूँ कि मेरे पति/पिता श्री---------------------------------पुलिस विभाग में (पद का नाम का उल्लेख करे) पर (जनपद के नाम का उल्लेख करें) में थाना--------------या कार्यालय---------------में कार्यरत थे जिनकी मृत्यु दिनांक ---------------को (बीमारी/मुठभेड़ या अन्य कारण जो भी अंकित करें) हो चुकी है ।

3- यह कि मै वहलफ बयान करता हूँ कि मेरी जन्मतिथि (हाईस्कूल के सनद के अनुसार) है । समस्त श्रोत से प्राप्त की गयी मेरी मासिक आय---------------है । तथा वार्षिक आय----------है । मेरी शादी वर्ष---------- मे हुई मेरी पत्नी/पति का नाम ------------------ है ।

4- यह कि मै वहलफ पर बयान करता हूँ कि मेरे स्व0 पति/पत्नी पिता के स्थान पर मृतक आश्रित नियमावली-1974 के अन्तर्गत मेरे पुत्र/पुत्री/बहन/भाई नाम----------- पुलिस विभाग में पद------------- पर सेवायोजित किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नही है ।

5- यह कि वहलफ बयान करता हूँ कि मृतक आश्रित नाम------------------------- स्व0----------------------- के वारिस है ।

6- यह कि वहलफ बयान करता हूँ कि मृतक स्व0-------------------- के स्थान पर अभी तक किसी को नौकरी नही दी गयी है ।

7- यह कि मै वहलफ बयान करता हूँ कि उपरोक्त कथन सत्य है यदि असत्य पाया गया तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य होगी ।

8- यह कि उपरोक्त बयान हलफी की धारा-1 से 7 तक मेरे निजी ज्ञान से सत्य है कुछ असत्य नही है एवं कोई महत्वूपर्ण तथ्य छिपाया नही गया है । ईश्वर मेरी मदद करें ।

परिशिष्ट-"ख"

मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कराये जाने हेतु परिवार का शपथ पत्र।

1- मैं शपथनी श्रीमती------ पत्नी-------------- स्व0-------- ग्राम------ मोहल्ला---------- थाना---------- तहसील---------- जनपद------------------ की निवासिनी हूँ और शपथपूर्वक निम्न कथन करती हूँ:-

2- यह कि शपथनी जन्म से भारतीय नागरिक है।

3- यह कि शपथनी एवं शपथनी के परिवार के निम्न सभी सदस्य (सबका नाम) मेरे पुत्र/पुत्री/नाम---- को पुलिस विभाग के पद---------- पर सेवायोजित कराना चाहते हैं।

4- यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन का लाभ पूर्व में या कभी प्रदान नही किया गया है।

5- यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य श्री------------ को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कराये जाने पर कोई आपत्ति नही है। इनकी शैक्षिक योग्यता-------- है।

6- यह कि मैं शपथनी एवं परिवार के समस्त सदस्य जिनके हस्ताक्षर क्रम से शपथ पत्र पर अंकित है, द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शपथ पत्र की धारा-1 से 5 तक मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथनी-
एवं परिवार के सदस्यों
के हस्ताक्षर।

समक्ष पुलिस उप महानिरीक्षक(स्थापना) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

आवेदक का शपथ पत्र

नाम ---------------------उम्र लगभग-------------वर्ष--- पुत्र/पुत्री श्री

निवासी ----------------------थाना- --------------------- का शपथ पत्र

मैं ---------------------उपरोक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1 यह कि मैं स्व0--------------का पुत्र/पुत्री/पत्नी/अविवाहित/ विधवा पुत्री हूँ । जो मृत्यु से पूर्व उ0प्र0 पुलिस में------ पद --------------------स्थान पर कार्यरत थे ।

2 यह कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में ------------------पद पर नियुक्ति हेतु जिला ----------------------से एक मृतक आश्रित अभ्यर्थी हूँ । इस पद हेतु यदि मुझे अर्ह अथवा पद के सापेक्ष अपेक्षित योग्यता/कुशलता के न्यूनतम स्तर के अनुकूल नही पाया जाता तो मैं अन्य किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हूँ ।

3- यह कि मेरे विरूद्ध कोई अपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नही हुआ है और न ही कोई पुलिस विवेचना लम्बित है ।

4- यह कि मैं किसी राष्ट्र विरोधी राजनैतिक पार्टी का कभी सदस्य नही रहा हूँ और न हूँ ।

5- यह कि कभी मुझे अपराधिक मामले में गिरफतार नही किया गया है ।

6- यह कि मेरा कभी अपराधिक मामले में पुलिस में चालान नही किया गया है ।

7- यह कि आवेदन पत्र में उल्लेखित यदि कोई बात किसी भी समय असत्य पायी जाय अतः किसी सत्य को छिपाया गया हो तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय तथा मुझे विधिक दण्ड दिया जाय ।

8- यह कि आवेदन पत्र भरने के दस वर्ष पूर्व तक किसी विध्वसंक कार्य में भाग नही लिया ।

9- यह कि अपराधिक मामले जो मेरे विरूद्ध पंजीकृत हुए है या जिसमें मेरा चालान किया गया था जो मेरे विरूद्ध विचाराधीन न्यायालय अथवा विवेचनाधीन पुलिस है उनका विवरण निम्नवत् है:-

10- यह कि यदि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाये जाये तो कोर्स/सर्विस से तुरन्त पृथक कर दिया जावे तथा विधिक दण्ड दिया जाय ।

11- मैं---------------------------पत्नी/पुत्र/पुत्रीस्व0 श्री---------------------------प्रमाणित करता हूँ कि संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा किसी नियंत्रित किसी निगम में कभी भी सेवा से पदच्युत नही किया गया।/कीगयी हूँ।

(11) मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित नही हूँ ।

(12) मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पिता/पति की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के किसी आश्रित को (जिसमें मैं भी शामिल हूँ) उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अधीन कभी भी सेवायोजित नहीं किया गया है।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

मैं .... उपयुक्त अभिसाक्षी, शपथपूर्वक सत्यापित करती/करता हूँ कि इस शपथ पत्र के प्रस्तर .... में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य हैं, इस शपथ पत्र के प्रस्तर........ में उल्लिखित तथ्य अभिलेखों पर आधारित है, इस शपथ पत्र के प्रस्तर.... में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है, इस शपथ पत्र में उल्लिखित...प्रस्तर तथ्य विधि सलाह पर आधारित है और जिन्हें मैं विश्वास करती/करता हूँ कि वह भी सत्य है, इसकाकोई भी अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है । अस्तु ईश्वर मेरी रक्षा करे ।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

शपथ कर्ता/अभिसाक्षी का निशान-अंगूठा

******

आज दिनांक................ को ....बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला के प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

....

परिशिष्ट-"ख"

मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कराये जाने हेतु परिवार का शपथ पत्र ।

1- मैं शपथकर्त्री श्रीमती------ पत्नी-------------- स्व0-------- ग्राम-------- पोस्ट---------- थाना---------- तहसील----------- जनपद------------------------ की निवासिनी हूँ और शपथपूर्वक निम्न कथन करती हूँ:-

2- यह कि शपथकर्त्री जन्म से भारतीय नागरिक है । -

3- यह कि शपथकर्त्री एवं शपथकर्त्री के परिवार के निम्न सभी सदस्य(सबका नाम) मेरे पुत्र/पुत्री/------ को पुलिस विभाग के पद---------- पर सेवायोजित कराना चाहते है ।

4- यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन का लाभ पूर्व में या कभी प्रदान नहीं किया गया है ।

5- यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य श्री------------ को मृतक आश्रित के रूप में सेवायेजित कराये जाने पर कोई आपत्ति नही है । इनकी शैक्षिक योग्यता-------- है ।

6- यह कि मैं शपथनी एवं परिवार के समस्त सदस्य जिनके हस्ताक्षर क्रम से शपथ पत्र पर अंकित है, द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शपथ पत्र की धारा-1 से 5 तक मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है । ईश्वर मेरी मदद करें ।

शपथनी-
एवं परिवार के सदस्यों
के हस्ताक्षर ।

परिशिष्ट-"क"

मृतक के आश्रित के सम्पूर्ण परिवार (आश्रित पत्नी, पुत्रियां तथा पुत्रों) द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप ।

----

1. यह कि मैं बहलफ बयान करता हूं कि मेरा नाम---------------------------- पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0-------------------------- निवासी ग्राम--------------------पोस्ट--------------थाना------------------जिला----------------का निवासी हूं ।

2. यह कि मैं बहलफ बयान करता हूं कि मेरे पति/पिता श्री-------------------------------पुलिस विभाग में (पद का नाम का उल्लेख करें) पद (जनपद के नाम का उल्लेख करें) में थाना--------------या कार्यालय--------------में तैनाती के दौरान मृत्यु दिनांक----------------को (बीमारी/मुठभेड़ या अन्य कारण जो भी अंकित करें) से मृत्यु हुई है ।

3. यह कि मैं बहलफ बयान करता हूं कि मेरी जन्मतिथि (हाईस्कूल के सनद के अनुसार) है । समस्त स्रोत से प्राप्त की गयी मेरी मासिक आय---------------है । तथा वार्षिक आय----------है । मेरी शादी वर्ष---------- मे हुई मेरी पत्नी/पति का नाम -------------------- है ।

4. यह कि मैं बहलफ पर बयान करता हूं कि मेरे स्व0 पति/पत्नी पिता के स्थान पर मृतक आश्रित नियमावली-1974 के अन्तर्गत मेरे पुत्र/पुत्री/बहन/भाई नाम------------- पुलिस विभाग में पद------------- पर सेवायोजित किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नही है ।

5. यह कि बहलफ बयान करता हूं कि मृतक आश्रित नाम--------------------------- स्व0------------------------ के वारिस है ।

6. यह कि बहलफ बयान करता हूं कि मृतक स्व0-------------------- के स्थान पर अभी तक किसी को नौकरी नही दी गयी है ।

7. यह कि मैं बहलफ बयान करता हूं कि उपरोक्त कथन सत्य है यदि असत्य पाया गया तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य होगी ।

8. यह कि उपरोक्त बयान हलफी की धारा-1 से 7 तक मेरे निजी ज्ञान से सच सत्य है कुछ असत्य नही है एवं कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नही गया है । ईश्वर मेरी मदद करें ।

300

पत्र के साथ संलग्न ... का
... ...

परिशिष्ट-"क"

मृतक के आश्रित के सम्पूर्ण परिवार (आश्रित पत्नी, पुत्रियां तथा पुत्रों) द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप ।

---

1 यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरा नाम------------------------ पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0------------------------------ निवासी ग्राम---------------------पोस्ट-------------थाना-------------------जिला------------------का निवासी हूँ ।

2- यह के मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरे पति/पिता श्री----------------------------------पुलिस विभाग में (पद का नाम का उल्लेख करे) पर (जनपद के नाम का उललेख करें) में थाना--------------या कार्यालय--------------में कार्यरत थे जिनकी मृत्यु दिनांक:---------------को (बीमारी/मुठभेड़ या अन्य कारण जो भी अंकित करें) हो चुकी है ।

3- यह कि मैं बहलफ बयान करता हूं कि मेरी जन्मतिथि (हाईस्कूल के सनद के अनुसार) है । समस्त श्रोत से प्राप्त की गयी मेरी मासिक आय---------------है । तथा वार्षिक आय----------है । मेरी शादी वर्ष---------- मे हुई मेरी पत्नी/पति का नाम ------------------ है ।

4- यह कि मैं बहलफ पर बयान करता हूं कि मेरे स्व0 पति/पत्नी पिता के स्थान पर मृतक आश्रित नियमावली-1974 के अन्तर्गत मेरे पुत्र/पुत्री/बहन/भाई नाम------------ पुलिस विभाग में पद-------------- पर सेवायोजित किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नही है ।

5- यह कि बहलफ बयान करता हूं कि मृतक आश्रित नाम------------------------------ स्व0------------------------- के वारिस है ।

6- यह कि बहलफ बयान करता हूं कि मृतक स्व0--------------------- के स्थान पर अभी तक किसी को नौकरी नही दी गयी है ।

7- सह कि मैं बहलफ बयान करता हूं कि उपरोक्त कथन सत्य है यदि असत्य पाया गया तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य होगी ।

8- यह कि उपरोक्त बयान हलफी की धारा-1 से 7 तक मेरे निजी ज्ञान से सब सत्य है कुछ असत्य नही है एवं कोई महत्वूपर्ण तथ्य छिपाया नही गया है । ईश्वर मेरी मदद करें ।

मा०वा०के निर्णय/दिशा का
सामूहिक शपथ पत्र आवेदक का
कराई।

परिशिष्ट-"स"

मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कराये जाने हेतु परिवार का शपथ पत्र ।

1 मैं शपथनी श्रीमती------ पत्नी-------------- स्व0-------- ग्राम------ पोस्ट---------- थाना--------- तहसील---------- जनपद------------------ की निवासिनी हूँ और शपथपूर्व निम्न कथन करती हूँ:-

2- यह कि शपथनी जन्म से भारतीय नागरिक है ।

3- यह कि शपथनी एवं शपथनी के परिवार के निम्न सभी सदस्य(सबका नाम) मेरे पुत्र/पुत्री नाम---- को पुलिस विभाग के पद---------- पर सेवायोजित कराना चाहते है।

4- यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य को मृतक आश्रित के रूप मे सेवायोजन का लाभ पूर्व में या कभी प्रदान नही किया गया है ।

5- यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य श्री------------ को मृतक आश्रित के रूप में सेवायेजित कराये जाने पर कोई आपत्ति नही है । इनकी शैक्षिक योग्यता--------- है ।

6- यह कि मैं शपथनी एवं परिवार के समस्त सदस्य जिनके हस्ताक्षर क्रम से शपथ पत्र पर अंकित है, द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शपथ पत्र की धारा-1 से 5 तक मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है । ईश्वर मेरी मदद करें ।

शपथनी-
एवं परिवार के सदस्यों
के हस्ताक्षर ।

300

पत्रांक के सम्बन्ध में प्रयोग का ...

परिशिष्ट-"क"

मृतक के आश्रित के सम्पूर्ण परिवार (आश्रित पत्नी, पुत्रियां तथा पुत्रों) द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप ।

---

1 यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरा नाम------------------------ पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0--------------------------- निवासी ग्राम----------------------पोस्ट-------------थाना--------------------जिला------------------का निवासी हूँ ।

2- यह के मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरे पति/पिता श्री-------------------------------------पुलिस विभाग में (पद का नाम का उल्लेख करे) पर (जनपद के नाम का उललेख करें) में थाना--------------या कार्यालय--------------में कार्यरत थे जिनकी मृत्यु दिनांक---------------को (बीमारी/मुठभेड़ या अन्य कारण जो भी अंकित करें) हो चुकी है ।

3- यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरी जन्मतिथि (हाईस्कूल के सनद के अनुसार) है । समस्त श्रोत से प्राप्त की गयी मेरी मासिक आय---------------है । तथा वार्षिक आय----------है । मेरी शादी वर्ष---------- मे हुई मेरी पत्नी/पति का नाम ------------------ है ।

4- यह कि मैं बहलफ पर बयान करता हूँ कि मेरे स्व0 पति/पत्नी पिता के स्थान पर मृतक आश्रित नियमावली-1974 के अन्तर्गत मेरे पुत्र/पुत्री/बहन/भाई नाम------------ पुलिस विभाग में पद------------- पर सेवायोजित किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नही है ।

5- यह कि बहलफ बयान करता हूँ कि मृतक आश्रित नाम---------------------------- स्व0----------------------- के वारिस है ।

6- यह कि बहलफ बयान करता हूँ कि मृतक स्व0-------------------- के स्थान पर अभी तक किसी को नौकरी नही दी गयी है ।

7- सह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि उपरोक्त कथन सत्य है यदि असत्य पाया गया तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य होगी ।

8- यह कि उपरोक्त बयान हलफी की धारा-1 से 7 तक मेरे निजी ज्ञान से सब सत्य है कुछ असत्य नही है एवं कोई महत्वूपर्ण तथ्य छिपाया नही गया है । ईश्वर मेरी मदद करें ।

परिशिष्ट-"ख"

मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कराये जाने हेतु परिवार का शपथ पत्र ।

1- मैं शपथनी श्रीमती------- पत्नी--------------- स्व0--------- ग्राम------- पोस्ट----------- थाना---------- तहसील------------ जनपद-------------------- की निवासिनी हूँ और शपथपूर्व निम्न कथन करती हूँ:-

2- यह कि शपथनी जन्म से भारतीय नागरिक है ।

3- यह कि शपथनी एवं शपथनी के परिवार के निम्न सभी सदस्य(सबका नाम) मेरे पुत्र/पुत्री नाम---- को पुलिस विभाग के पद---------- पर सेवायोजित कराना चाहते है ।

4- यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य को मृतक आश्रित के रूप मे सेवायोजन का लाभ पूर्व में या कभी प्रदान नही किया गया है ।

5- यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य श्री------------- को मृतक आश्रित के रूप में सेवायेजित कराये जाने पर कोई आपत्ति नही है । इनकी शैक्षिक योग्यता--------- है ।

6- यह कि मैं शपथनी एवं परिवार कें समस्त सदस्य जिनके हस्ताक्षर क्रम से शपथ पत्र पर अंकित है, द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शपथ पत्र की धारा-1 से 5 तक मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है । ईश्वर मेरी मदद करें ।

शपथनी-
एवं परिवार के सदस्यों
के हस्ताक्षर ।

(नियुक्ति देने के पूर्व मृतक आश्रित से लिये जाने वाले शपथ-पत्र)

शपथ-पत्र का प्रारूप-2

शपथी का फोटोग्राफ नोटरी द्वारा प्रमाणित

नाम---------------उम्र-----वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0 ------------------ निवासी ग्राम ---------- पोस्ट ------------- थाना -------- जनपद-------- का शपथ-पत्र

मैं ----------------------उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित अभिकथन करता है:-

(1) यह कि शपथी द्वारा अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में जो सूचना/शैक्षिक प्रमाण-पत्र तथा प्रपत्र इत्यादि दिया गया है वह सही है।

(4) ~~(2)~~ यह कि शपथी द्वारा सेवायोजन के सम्बन्ध में दिये गये मृतक कर्मी के सम्बन्ध मे नाम/पद/नियुक्ति का विवरण आदि सही है एवं वह मृतक का वास्तविक वारिस है।

(5) ~~(3)~~ यह कि शपथी के परिवार में स्व0 कर्मी की मृत्यु के बाद किसी भी अन्य सदस्य द्वारा कभी भी मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ नहीं लिया गया है

(6) ~~(4)~~ यह कि शपथ-पत्र के प्रस्तर- 1 से 3 तक में अकिंत कथन सत्य है तथा शपथी द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

(2) यह कि शपथी के पिता ---- --- की मृत्यु दिनांक ---- को हुयी थी शपथी के पिता मृत्यु के समय थाना --- जि0 जालौन में नियुक्त थे।

(3) यह कि शपथी के परिवार में शपथी के अतिरिक्त निम्न सदस्य है जिनमे से किसी को भी सेवायोजन का लाभ नही दिया गया है। → (विवाहित/अविवाहित) सहित

1.
2.
3.
4.

प्रतिलिपि शासनादेश संख्या-1944/6-पु0-10-2006-1200(2)/01टीसी दिनांक: सितम्बर4,2006। जो प्रेषक श्री आर0पी0मिश्र,संयुक्त सचिव,उ0प्र0शासन, गृह(पुलिस) अनुभाग-10 लखनऊ द्वारा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0,लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0,लखनऊ तथा पुलिस उप महानिरीक्षक,स्थापना,उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद को सम्बोधित है।

....

विषय:-उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 में सातवें संशोधन के क्रियान्वयन के संबंध में।

....

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के पत्र संख्या-6/12/73/का-2/2006 दिनांक 28 जुलाई, 2006 (छाया प्रति संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग द्वारा उपरोक्त दिनांक पत्र के माध्यम से अधिसूचना निर्गत करते हुए उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम 5(1)(तीन) में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गयी है कि नियमावली के परन्तुक प्रयोजन के लिए सम्बद्ध व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिये नियत समय-सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विलम्ब के कारणों के संबंध में ऐसे विलम्ब के समर्थन आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित को कारणों के संबंध में ऐसे विलम्ब के कारणों के लिए सभी लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारणों के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी। कृपया तद्नुसार कालबाधित प्रत्येक मामलों में परीक्षणोपरांत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने हेतु अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा अधिनस्थों को दी गयी सूचना/निर्देशों की एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

ह0/-
आर0पी0मिश्र
संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-6/12/73/कार्मिक-2/2006
लखनऊ:दिनांक, 28 जुलाई, 2006

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-5 का प्रतिस्थापन — 2- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1- में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-1 (एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती — 5- (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य संरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो इस प्रयोजन के लिये	मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती — 5- (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो इस प्रयोजन के लिये

८

भर्ती के किसी सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति:-

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले से अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसा सेवायोजन यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।

भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति:-

(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:-

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये सम्बद्ध व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा के

(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।

(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

<u>अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिये सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।</u>

(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गयीं प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।

(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन

उत्तरदायी है जो उसकी सेवायें, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर
(उमेश सिन्हा)
सचिव।

<u>महत्वपूर्ण/मृतक आश्रित नियमावली में संशोधन</u>

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-1।
संख्या:18/ए-(सातवां संशो0/मृ0आ0)2006,दि0 सित0 24,06

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
<u>पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।</u>

कृपया उपर्युक्त अंकित शासनादेश संख्या:1944/6-पु0-10-2006-200(2)/01 टीसी, दिनांक 7.9.2006 व इसके साथ उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती(सातवॉ संशोधन) नियमावली-2006 जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या: 6/12/73/का-2/2006,दिनांक:28.7.2006 निर्गत किया गया है की प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

कृपया उपर्युक्तानुसार शासनादेश दिनांक 7.9.06 व 28.7.06 में अंकित निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

प्रस्तुत मामले में अवगत कराना है कि पूर्व में पुलिस मुख्यालय में ... एक फर्जी सेवायोजन प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें कुछ प्रकरणों में मृतक आश्रित के पिता पुलिस विभाग में सेवारत ही नहीं थे उनके फर्जी सेवायोजन प्रकरण अन्यत्र से पुलिस अधीक्षक की मुहर व हस्ताक्षर के साथ तैयार कराकर पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराये गये थे, कुछ में मृतकों के दो या इससे अधिक आश्रितों द्वारा सेवायोजन का लाभ ले लिया गया है इसके अतिरिक्त कतिपय प्रकरणों में मृतक आश्रितों को फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर सेवायोजन प्रकरण पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराये गये हैं। इन तथ्यों को मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा भी संज्ञान में लिया गया है जिनमें उच्च न्यायालय के आदेश से सम्बन्धित जनपद/इकाईयों द्वारा जॉच करायी जा रही है। पूर्व प्रचलित प्रक्रिया में मृतक आश्रितों का सेवायोजन प्रकरण पुलिस मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम में प्राप्त करा दिया जाता था जिससे फर्जी प्रकरणों के प्राप्त होने की संभावना रहती है इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

उपर्युक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से अब निर्णय लिया गया है कि समस्त सेवायोजन प्रकरण सम्बन्धित कार्यालय के ...0ओ0 आफिस एक निश्चित अन्तराल पर स्वयं पुलिस मुख्यालय उपस्थित होकर

सभी प्रकरणों को अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए सम्बन्धित विभाग में प्राप्त कराया।

5. कृपया उपर्युक्त अंकित शासनादेश दिनांकित 28.7.2006 व 7.9.2006 में इंगित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमावली के परन्तुक प्रयोजन के लिये सम्बद्ध व्यथित कारणों को स्पष्ट करेगा एवं आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में, ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित रूप में समुचित औचित्य देगा जिसे प्राप्त कर यथोचित प्रस्ताव मृतक आश्रित के सेवायोजन के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या:18-64-2000, दिनांक 4.4.2003 के साथ प्रेषित चेकलिस्ट/प्रारूप एवं अनुलग्नकों में अपेक्षित सूचनायें तथा शासनादेश संख्या: 3190/6-पु0-10-2002-1200(63)/2000,दिनांक 9.12.2002 द्वारा निर्धारित प्रारूप में 20 बिन्दुओं की सूचना, मृत्यु की परिस्थितियों का पूर्ण विवरण अपनी टिप्पणी सहित दो प्रतियों में अपने कार्यालय के क्षेत्राधिकारी,(सी0ओ0आफिस) के द्वारा स्वयं पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद में प्राप्त कराने का कष्ट करें।

6. कृपया प्रस्ताव एवं इसके संलग्नक समस्त प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर कार्यालयाध्यक्ष (वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक) का स्वयं का हस्ताक्षर व नाम/पदनाम की मुहर अंकित होगी तथा प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा कि यह प्रस्ताव आपके ही जनपद के एक पुलिस कर्मी के वास्तविक आश्रित का सेवायोजन प्रकरण है। पूर्व में इस एक कर्मचारी/अधिकारी के किसी अन्य आश्रित को सेवायोजन का लाभ नहीं दिया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यता की पुष्टि ~~शैक्षिक संस्थानों~~ बोर्ड/यूनिवर्सिटी से करा ली गयी है।

7. कृपया प्रस्ताव प्राप्त कराने के समय सी0ओ0 आफिस प्रस्ताव के प्रथम पृष्ठ पर अपने नाम व पदनाम की मुहर के साथ इस तथ्य की पुष्टि करेंगे कि यह प्रस्ताव स्वयं उनके द्वारा पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रकरण/प्रस्ताव प्राप्त होने पर इसे नियमानुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया जायेगा।

8. कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(हस्ताक्षर) 9/12

(जवाहर लाल त्रिपाठी)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या तथा दिनांक वही।</u>

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव,उत्तर प्रदेश शासन गृह(पुलिस)अनुभाग-10, लखनऊ को शासनादेश संख्या:1944/6-पु0-10-2006-1200 (2)/01 टीसी, दिनांक 7.9.06 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

<u>संख्या तथा दिनांक वही।</u>

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक,कार्मिक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- पुलिस महानिदेशक,के सहायक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-।

संख्या:18-64-94 दिनांक:जनवरी 4 ,2003

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश ।

विषय:- मृतक आश्रितों को समय-सीमा में छूट प्रदान करने हेतु सूचना भेजने विषयक प्रारूप ।

--x--

कृपया शासनादेश संख्या:3190/6-पु0-10-2002-1200§63§/2000 दिनांकित-9-12-200§ §प्रति लिपि-संलग्न§ का अवलोकन करें ।

2- अनुरोध है कि कृपया मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोजन किये जाने के ऐसे प्रकरण जो मृतक सेवक को सेवाकाल में मृत्यु के दिनांक-- से 5 वर्ष के बाद प्राप्त होते हैं, को उक्त संदर्भित शासनादेशों के साथ संलग्न शासन द्वारा निर्धारित प्रारूपों में सूचना गहनता के साथ छानबीन करने के पश्चात पूर्णकर अपनी स्पष्ट एवं औचित्यपूर्ण संस्तुति के साथ पुलिस मुख्यालय को अग्रसारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि ऐसे प्रकरणों को पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक परीक्षणोपरान्त शासकीय अनुमति हेतु शासन को प्रेषित करने के सम्बन्ध में विचार किया जा सके ।

संलग्न--यथोपरि ।

(42)

Hcc
Ensure
Compliance
accordingly

आज्ञा से,
उषा
1.1.03
§ उषा यादव §
विशेष कार्याधिकारी §स्थापना§
नि0पुलिस उपमहानिरीक्षक§स्थापना§
उत्तर प्रदेश ।

--x--

SP
1/1

संख्या तथा दिनांक वही ।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक"स्थापना"को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2- प्रतिलिपि:-विभाग-पांच एवं दस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(19)

--x--

[illegible]

[illegible]

संख्या:3190/6-पु-10-2002-1200(63)/2000

प्रेषक,

शंकर लाल जायसवाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना)
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग-10, लखनऊ: दिनांक: 09 दिसम्बर, 2002

विषय:- मृतक आश्रितों को समय-सीमा में छूट प्रदान करने हेतु सूचना भेजने विषयक प्रारूप।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या:2691/6-पु-10-2000 दिनांक-16जनवरी, 2001 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में कतिपय संशोधन किये जा रहे है। तदनुसार भविष्य में समस्त प्रस्ताव पर संशोधित सूचना ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,
अपठनीय,
(शंकर लाल जायसवाल)
विशेष सचिव।

शासनादेश सं0:3100/6-पु-10-2002-1200(63)/20

दिनांक:09-12-2002 का संलग्नक ।

1-मृतक कर्मचारी का नाम............................

2-मृतक कर्मचारी का पदनाम................

3-मृत्यु के समय तैनाती का विवरण..........

4-मृत्यु के समय कर्मचारी की आयु.........

5-मृत्यु का कारण पूर्ण विवरण एवं संस्तुति सहित(मृतक कर्मचारी अवकाश पर था अथवा ड्यूटी पर,मृत्यु प्रमाण पत्र सहित ।...............................

6-क्या मृत्यु कर्तव्य पालन के दौरान अस्वभाविक परिस्थितियों में हुई है............

7-क्या मृत्यु के समय कर्मचारी की पत्नी/पति किसी सेवायोजन में थे यदि हाँ तो उसका विवरण...

8-कर्मचारी के आश्रितों का विवरण:-

क्रम संख्या	नाम	शैक्षिक योग्यता	सेवा/व्यवसाय	मासिक आय
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

9-परिवार के अन्य व्यवसाय/उपलब्ध भूमि का विवरण..................

10-कर्मचारी के आश्रितों को प्राप्त होने वाली पेंशन का विवरण(साधारण/असाधारण)राशि

11-समस्त स्त्रोतों से परिवार की मासिक आय..........................

12-सेवायोजन हेतु आवेदक आश्रित का नाम..........................

13-सेवा हेतु आवेदित पद का नाम.................................

14-यदि कर्मचारी की पत्नी/पति को सेवायोजित नहीं किया गया तो उसका कारण

15-कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 5वर्ष के भीतर सेवायोजन हेतु आवेदन न प्रस्तुत करने का कारण पूर्ण औचित्य सहित...................................

16-परिवार की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया जाय कि परिवार के निर्वाह हेतु अभी भी शासकीय अनुकम्पा की आवश्यकता है ।..............

17-अब तक परिवार के निर्वाह की क्या व्यवस्था थी.........................

18-समय सीमा में छूट हेतु विभागाध्यक्ष की स्पष्ट संस्तुति पूर्ण औचित्य सहित.........

(पुलिस अधीक्षक/सेनानायक)
के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित ।

19. मृतकआश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु सब प्रकार से आश्वस्त होने के उपरान्त प्रथम बार प्रार्थना पत्र देने की तिथि

20. मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तिथि

FAX

(58)

(48)

प्रेषक,

संख्या-1203/छ:-पु0-10-2000-1200(8)/98

अनुज कुमार बिश्नोई,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

2957
9.5.00

गृह(पुलिस)अनुभाग-10

दिनांक 01 मई, 2000

विषय: उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन मृतक आश्रितों की पुलिस बल में नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम लम्बाई में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्रांक:डीजी-चार-124(52)-91, दिनांक 20 दिसम्बर, 1993 एवं 13 अगस्त, 98 तथा उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या:पॉच-740(सेवा)-98, दिनांक 14-12-98 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की पुलिस बल की सेवायें में आने वाले जिन पदों पर सेवायोजन की कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा की जाती है, उन पदों के लिए निर्धारित अर्हताओं में से अन्य योग्यताएं व अर्हताएं पूर्ण करने वाले मृतक आश्रित अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हताओं के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम लम्बाई में दो सेन्टीमीटर तक की छूट प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(अनुज कुमार बिश्नोई)
सचिव।

संख्या-1203/छ:-पु0-10-2000-1200(8)/98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश मुख्यालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

306

O.S.D. Karmik
कृ0 आ0 का0 करें।

आज्ञा से,

(रुद्र कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव।

विभाग XVIII | X | V

कृपया सेवायोजन के लिये उक्त आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करें।

9.5.2000
OSD (K)

पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना)

3/5

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद/इकाई--------------- के पत्र संख्या------------------ दिनांक ---------------- के माध्यम से प्रेषित स्व0 ----------------------------------जिनकी मृत्यु दिनांक----------- सेवाकाल में हुई है के आश्रित श्री ------------------------------ को ------------- के पद पर सेवायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराया गया है। यह प्रस्ताव समस्त संलग्नको सहित जनपद/इकाई '---------------- से ही प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रो का परीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है, प्रस्ताव पूर्णतया सही है तथा इसी जनपद/इकाई के स्व0 कर्मी के वास्तविक आश्रित के पक्ष में प्रस्ताव है । यह प्रकरण फर्जी नही है एंव मृतक आश्रित के द्वारा उपलब्ध कराये गये शिक्षा एंव जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्रो की सत्यता की पुष्टि कमश: जिला विद्यालय निरीक्षक /शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय एंव सम्बन्धित जिला अधिकारी के माध्यम से करा ली गयी है। इसके पूर्व इस स्व0 कर्मी के किसी अन्य आश्रित को सेवायोजन का लाभ नही दिया गया है। इसकी पुष्टि अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाती है ।

हस्ताक्षर :-
नाम :-
पदनाम:-
कार्यालय का नाम:-
(राजपत्रित अधिकारी का नाम/
पदनाम की मुहर)

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक --------- को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद/इकाई----------------- के पत्र संख्या------------------ दिनांक ------------------------- के माध्यम से प्रेषित स्व0 --जिनकी मृत्यु दिनांक---------- सेवाकाल में हुई है के आश्रित श्री --------------------------------- को -------------- के पद पर सेवायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराया गया है। यह प्रस्ताव समस्त संलग्नको सहित जनपद/इकाई ---------------- से ही प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रो का परीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है, प्रस्ताव पूर्णतया सही है तथा इसी जनपद/इकाई के स्व0 कर्मी के वास्तविक आश्रित के पक्ष में प्रस्ताव है । यह प्रकरण फर्जी नही है एंव मृतक आश्रित के द्वारा उपलब्ध कराये गये शिक्षा एंव जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्रो की सत्यता की पुष्टि कमश: जिला विद्यालय निरीक्षक /शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय एंव सम्बन्धित जिला अधिकारी के माध्यम से करा ली गयी है। इसके पूर्व इस स्व0 कर्मी के किसी अन्य आश्रित को सेवायोजन का लाभ नही दिया गया है। इसकी पुष्टि अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाती है ।

हस्ताक्षर :-
नाम :-
पदनाम:-
कार्यालय का नाम:-
(राजपत्रित अधिकारी का नाम/
पदनाम की मुहर)

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक ---------- को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

प्रस्ताव फाइल में छपने का प्रारूप

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद/इकाई------------------- के पत्र संख्या------ ------- दिनांक ----------------------- के माध्यम से प्रेषित स्व0 --जिनकी मृत्यु दिनांक----------- सेवाकाल में हुई है के आश्रित श्री ---------------------------------- को --------------- के पद पर सेवायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराया गया है। यह प्रस्ताव समस्त संलग्नको सहित जनपद/इकाई '---------------- से ही प्रेषित कियां गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रो का परीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है, प्रस्ताव पूर्णतया सही है तथा इसी जनपद/इकाई के स्व0 कर्मी के वास्तविक आश्रित के पक्ष में प्रस्ताव है । यह प्रकरण फर्जी नही है एंव मृतक आश्रित के द्वारा उपलब्ध कराये गये शिक्षा एंव जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्रो की सत्यता की पुष्टि कमशः जिला विद्यालय निरीक्षक /शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय एंव सम्बन्धित जिला अधिकारी के माध्यम से करा ली गयी है। इसके पूर्व इस स्व0 कर्मी के किसी अन्य आश्रित को सेवायोजन का लाभ नही दिया गया है। इसकी पुष्टि अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाती है ।

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पदनाम:-

कार्यालय का नाम:-

(राजपत्रित अधिकारी का नाम/ पदनाम की मुहर)

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक --------- को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।